



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042026-271994
CG-DL-E-22042026-271994

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948

No. 283]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 307(अ) — केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के पश्चात्, एतद्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रयोज्यता-** ये नियम, 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् सेवा में नियुक्त अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे:

परंतु ये नियम सेवा के उन सदस्यों पर लागू नहीं होंगे जिन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित किसी विशेष या सामान्य आदेश के अनुसरण में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 लागू होते हैं।

3. **परिभाषाएँ-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) "लेखा अधिकारी" से ऐसे अधिकारी या अन्य नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन नए अभिदाता के लिए स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के पंजीकरण और सृजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, या ऐसे अधिकारी अभिप्रेत है जो किसी मंत्रालय, विभाग या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय के लेखा का रखरखाव करता है और इसमें महालेखाकार भी शामिल है, जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के लेखा या लेखा के भागों के रखरखाव का कार्य सौंपा गया है;
- (ख) किसी मंत्रालय या विभाग या संघ राज्य क्षेत्र या राज्य सरकार के संबंध में "प्रत्यायित बैंक" से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अधीन गठित भारतीय रिज़र्व बैंक या कोई ऐसा बैंक अभिप्रेत है जिसे उस मंत्रालय अथवा विभाग अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा राज्य सरकार के संबंध में सरकार के कार्य व्यवहार के संव्यवहार हेतु नियुक्त किया गया है और वह न्यासी बैंक में निधि अंतरण के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हो;
- (ग) "संचित पेंशन कॉर्पस" से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन किसी अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में संचित पेंशन निवेशों के मौद्रिक मूल्य अभिप्रेत है;
- (घ) "वार्षिकी" से संचित पेंशन कॉर्पस से वार्षिकी योजना के क्रय पर वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा अभिदाता को किया गया आवधिक भुगतान अभिप्रेत है;
- (ङ) "वार्षिकी सेवा प्रदाता" से ऐसी जीवन बीमा कंपनी अभिप्रेत है, जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत और विनियमित हो तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं को वार्षिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा पैनलबद्ध हो;
- (च) "प्राधिकरण" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, और इसमें संकल्पों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (छ) "केन्द्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 27 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसे अभिकरण अभिप्रेत है जो अभिदाताओं के लिए योजनाओं का अभिलेख रखने, लेखाकरण, प्रशासन और ग्राहक सेवा के कार्य निष्पादित करे;
- (ज) "परिलब्धियाँ" से नियम 5 में यथाविनिर्दिष्ट परिलब्धियाँ अभिप्रेत हैं;
- (झ) "विदेश सेवा" से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जिसमें सेवा सदस्य, भारत के समेकित निधि या किसी राज्य की समेकित निधि या किसी संघ राज्य क्षेत्र के समेकित निधि के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से सरकार की संस्वीकृति के साथ अपना वेतन प्राप्त करता है;
- (ञ) "सरकार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है;

- i. सेवा के ऐसे किसी सदस्य, जो किसी राज्य के मामलों के संबंध में सेवारत हो या जिसे किसी ऐसी कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो किसी राज्य की सरकार के पूर्ण या पर्याप्त रूप से स्वामित्व या नियंत्रण में है, या राज्य के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित स्थानीय प्राधिकरण में सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है उस राज्य की सरकार;
- ii. किसी भी अन्य मामले में, केन्द्रीय सरकार;

- (ट) "व्यक्तिगत पेंशन खाता" से किसी अभिदाता का खाता अभिप्रेत है, जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निबंधन और शर्तों को निर्धारित करने वाली संविदा द्वारा निष्पादित किया जाता हो;
- (ठ) "सरकार द्वारा प्रशासित स्थानीय निधि" से किसी निकाय द्वारा प्रशासित निधि अभिप्रेत है, जो विधि या बाध्यकारी विधि के नियम के द्वारा सरकार के नियंत्रण में आती हो और जिसके व्यय पर संपूर्ण और प्रत्यक्ष नियंत्रण सरकार के पास हो;
- (ड) "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 20 में निर्दिष्ट अंशदायी पेंशन प्रणाली अभिप्रेत है जिसमें पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पॉइंट्स ऑफ प्रेजेस पद्धति, केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण और वैयक्तिक पेंशन निधियों का उपयोग करके किसी अभिदाता के अंशदानों को व्यक्तिगत पेंशन खाते में संग्रहित और संचित किया जाता है;
- (ढ) "पेंशन निधि" से ऐसे मध्यवर्ती अभिप्रेत है जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 27 की उप-धारा(3) के अधीन, विनियमनों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति से, अंशदान प्राप्त करने, उन्हें जमा करने और अभिदाता को भुगतान करने के लिए पेंशन निधि के रूप में प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;
- (ण) "स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या" से केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अधिकरण द्वारा प्रत्येक अभिदाता को आवंटित विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्रेत है;
- (त) "अभिदाता" से ऐसे सेवा सदस्य अभिप्रेत हैं, जो पेंशन निधि की योजना के लिए अभिदान करता है;
- (थ) "न्यासी बैंक" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949(1949 का 10) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं; और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951, मूल नियम, 1922, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958, केंद्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 2021, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 अथवा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए विनियमों में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियमों या नियमों या विनियमों में उन्हें क्रमशः दिए गए हैं।

4. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण- (1) ऐसा सेवा सदस्य, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, सेवा में कार्यग्रहण करने पर, तत्काल ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पंजीकरण के लिए सामान्य अभिदाता पंजीकरण प्ररूप में या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्ररूप में, नियम 10 में उल्लिखित विकल्प प्ररूप सहित कार्यालयाध्यक्ष या जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी या किसी अन्य नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

- (2) कार्यालयाध्यक्ष जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी उप नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन सभी प्रकार से संपूर्ण है, इसकी प्रति पर प्राप्त करने की तारीख का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेगा और उसे सेवा सदस्य के कार्यग्रहण करने के दिन से तीन कार्य दिवस के भीतर लेखा अधिकारी या इस प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट अधिकारी को भेजेगा और कार्यालयाध्यक्ष या जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिलेख के लिए आवेदन की एक प्रति रखेगा।
- (3) लेखा अधिकारी या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष या जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी और पंजीकरण के प्रयोजनार्थ किसी अन्य नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर, वेतन और लेखा अधिकारी अथवा राज्य नोडल अधिकारी को, यथास्थिति, वैयक्तिक अभिदाता के आवेदन अग्रेषित करेगा।
- (4) वेतन और लेखा अधिकारी या राज्य नोडल अधिकारी, यथास्थिति, लेखा अधिकारी या इस प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से प्राप्त आवेदन को संसाधित करेगा तथा लेखा अधिकारी या इस प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को अग्रेषित करेगा तथा वेतन और लेखा अधिकारी या राज्य नोडल अधिकारी आवेदन की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को भी अभिलेख के लिए अग्रेषित करेंगे।
- (5) केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण, पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा और प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट टर्नअराउण्ड समय के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्रत्येक सेवा सदस्य के संबंध में एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या आवंटित करेगा। पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और टर्न-अराउण्ड समय के अनुसार, यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या राज्य नोडल अधिकारी को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या संसूचित करेगा और अभिदाता को भी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता किट अग्रेषित करेगा।
- (6) वेतन और लेखा अधिकारी या राज्य नोडल अधिकारी, यथास्थिति, संबंधित लेखा अधिकारी अथवा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के बारे में तत्काल संसूचित करेगा।
- (7) लेखा अधिकारी या इस प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष या जिला कोषाधिकारी या किसी अन्य नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या(पीआरएएन) के बारे में तत्काल संसूचित करेगा।
- (8) कार्यालयाध्यक्ष या जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिदाता को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या की सूचना देगा और अभिदाता द्वारा प्रस्तुत सामान्य अभिदाता पंजीकरण प्ररूप में या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्ररूप में और अभिदाता की सेवा पुस्तिका में स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या(पीआरएएन) को दर्ज करेगा और तत्पश्चात, पांच कार्य दिवस के भीतर अभिदाता की सेवा पुस्तिका में सामान्य अभिदाता पंजीकरण प्ररूप या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्ररूप की प्रमाणित प्रति चिपकाएगा।
- (9) उप नियम(2) से उप नियम (8)में उल्लिखित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सेवा सदस्य के पंजीकरण की प्रक्रिया और उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में प्रथम अंशदान के जमा होने में कोई विलंब न हो तथा सेवा सदस्य का पहला अंशदान, उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में, उप नियम(1) के अधीन आवेदन जमा करने की तारीख

के बीस दिन के भीतर या सेवा सदस्य के कार्यग्रहण करने के मास की अंतिम तारीख तक, इसमें से जो भी पश्चात में हो, तक जमा किया जाएगा।

(10) ऐसे मामले, जहां राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सेवा सदस्य के पंजीकरण की प्रक्रिया पहले मास या उत्तरवर्ती किसी मास के लिए वेतन के आहरण की तारीख से पूर्व पूर्ण न हुई हो, में सेवा सदस्य के ऐसे वेतन या वेतनों का भुगतान नियम 6 के अनुसार यथावधारित अंशदान की रकम घटाने के पश्चात् किया जाएगा।

(11) जैसे ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सेवा सदस्य के स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के सृजित होने की प्रक्रिया केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण द्वारा पूर्ण की जाएगी, वेतन से विधारित अंशदान की रकम और नियम 8 के अधीन देय ब्याज की रकम को सेवा सदस्य के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जाएगा तथा वेतन और लेखा अधिकारी या राज्य नोडल अधिकारी को संसूचित किया जाएगा।

(12) उप नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए विकल्प प्ररूप पर नियम 10 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

5. परिलब्धियाँ - (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अनिवार्य अंशदान की रकम अवधारित करने के प्रयोजनार्थ अभिव्यक्ति "परिलब्धियों" में अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के संबंधित वेतन नियमों में निर्धारित मूल वेतन सहित कैलेंडर मास में देय महंगाई भत्ता शामिल है।

(2) नियम 7 के उप नियम (1) के परंतुक के अध्यक्षीन, यदि कोई अभिदाता झूटी से अनुपस्थित, ऐसी छुट्टी पर था, जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है, तो इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए छुट्टी के दौरान वास्तव में आहरित वेतन और महंगाई भत्ते को दर्शाने वाली रकम को ध्यान में रखा जाएगा।

(3) नियम 7 के उप नियम (1) के परंतुक के अध्यक्षीन, यदि कोई अभिदाता पूरे कैलेंडर मास अथवा आंशिक कैलेंडर मास के दौरान झूटी से अनुपस्थित अथवा असाधारण छुट्टी पर था, तो वेतन अथवा वेतन को दर्शाने वाली रकम तथा उस कैलेंडर मास, जिसके दौरान वह झूटी पर था अथवा छुट्टी पर था और जिसके लिए वेतन देय है, के भाग के लिए वास्तविक रूप से आहरित छुट्टी वेतन में महंगाई भत्ते की रकम को इस नियम के प्रयोजनार्थ, परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा।

(4) यदि कोई अभिदाता निलंबन के अधीन था, तो उस कैलेंडर मास में निलंबन की अवधि के दौरान आहरित किए गए निर्वहन भत्ते को इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा।

(5) भारत में प्रतिनियुक्ति पर आए किसी अभिदाता द्वारा आहरित वेतन इस नियम के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों के लिए गणना में लिया जाएगा।

(6) विदेश सेवा या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर किसी अभिदाता के मामले में, परिलब्धियों के लिए उनके उस वेतन को गणना में लिया जाएगा जो उन्हें तब मिलता यदि वह विदेशी सेवा या ऐसी प्रतिनियुक्ति पर न होते।

(7) यदि कोई सेवानिवृत्त अभिदाता, जो सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित है और जिस पर ये नियम लागू हैं और जिसके पुनर्नियोजन पर उसके वेतन से उनके मासिक पेंशन से अनधिक रकम को कम किया गया है, तो मासिक पेंशन के घटक, जिससे उसके वेतन में कटौती हुई है, को परिलब्धियों में सम्मिलित किया जाएगा।

6. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाता द्वारा अंशदान- (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली परिभाषित अंशदान के आधार पर कार्य करेगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अभिदाता प्रतिमास अपनी परिलब्धियों का दस प्रतिशत या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगा। देय अंशदान की रकम को रुपये के अगले उच्च मूल्य तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(2) निलंबन की अवधि के दौरान, अभिदाता द्वारा उसके विकल्प, पर अंशदान किया जा सकेगा:

परंतु, जाँच के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेशों में, निलंबन के अधीन व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी के रूप में या अवकाश पर, जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है, माना गया है, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अंशदान का निर्धारण उन परिलब्धियों पर आधारित होगा जिनके लिए निलंबन की अवधि के लिए अभिदाता हकदार हो जाता है और अंशदान की जमा की जाने वाली रकम और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई रकम के अंतर को ब्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर, लोक भविष्य निधि निक्षेपों के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्णीत ब्याज की दर होगी।

(3) ऐसी ड्यूटी से अनुपस्थिति (छुट्टी पर या अन्यथा) की अवधि, जिसके लिए कोई वेतन या छुट्टी वेतन देय नहीं है, के दौरान अभिदाता द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जा सकेगा।

(4) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग या संगठन में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण की अवधि के दौरान, अभिदाता इन नियमों के अध्याधीन उसी प्रकार होगा, जिस प्रकार वह स्थानांतरित या प्रतिनियुक्ति न होने पर होता और नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार परिकल्पित परिलब्धियों के आधार पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अंशदान करना जारी रखेगा।

(5) भूतलक्षी वृद्धि के कारण अभिदाता द्वारा अभिप्राप्त वेतन के किसी भी बकायों के संबंध में किया गया अंशदान, उस मास के अंशदान के रूप में माना जाएगा, जिसमें उसका भुगतान किया जाता है।

(6) परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अपना अंशदान जारी रखेगा।

(7) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकाय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति सहित भारत में या भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान, व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंशदान की कटौती और जमा को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जा सकेगा।

(8) लेखा अधिकारी या इस प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी सेवा के सदस्य के वेतन से अंशदान की कटौती करेगा और बिल को प्रत्येक अभिदाता के संबंध में अंशदान कटौती के व्यौरों सहित यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या राज्य नोडल अधिकारी को प्रत्येक मास के बीसवें दिन पर या उससे पूर्व भेजेगा।

(9) कोई अभिदाता अपने विकल्प पर, प्राधिकरण और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट अंशदान से अधिक अंशदान कर सकेगा।

(10) (क) वेतन और लेखा अधिकारी या राज्य नोडल अधिकारी, यथास्थिति, लेखा अधिकारी या इस प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा वेतन और लेखा अधिकारी या राज्य नोडल अधिकारी को उप नियम (8) के अधीन प्रत्येक

अभिदाता के संबंध में भेजे गए अंशदान के व्यौरों के आधार पर अभिदाता अंशदान फाइल तैयार और अपलोड करेगा तथा प्रत्येक मास के पच्चीसवें दिन तक अंतरण आईडी सृजित करेगा।

(ख) यथास्थिति, वेतन और लेखा अधिकारी या राज्य नोडल अधिकारी, न्यासी बैंक को प्रत्यायित बैंक के माध्यम से प्रत्येक मास के अंतिम कार्य दिवस तक अंशदान प्रेषित करेगा:

परंतु मार्च के मास के लिए यह अंशदान, वेतन और लेखा अधिकारी या राज्य नोडल अधिकारी द्वारा न्यासी बैंक को प्रत्यायित बैंक के माध्यम से अप्रैल मास के प्रथम कार्य दिवस को प्रेषित किया जाएगा।

(ग) अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विहित समयावधि के पश्चात अंशदान जमा करने में विलंब होने की दशा में, जिसमें अभिदाता की गलती न हो, नियम 8 के अनुसार यथावधारित, अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विलंबित अवधि के लिए ब्याज सहित रकम जमा की जाएगी।

7. सरकार द्वारा अंशदान - (1) सरकार प्रत्येक मास अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में सेवा सदस्य की परिलब्धियों का चौदह प्रतिशत या समय-समय पर यथाअधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत का अंशदान करेगी, अंशदान की देय रकम को रुपये के अगले उच्च मूल्य में पूर्णांकित किया जाएगा:

परंतु उन मामलों में, जहां अभिदाता को चिकित्सीय आधार पर या नागरिक उपद्रव के कारण कार्यग्रहण करने या पुनःकार्यग्रहण करने में असमर्थता के कारण; या अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में उपयोगी समझे जाने वाले उच्च अध्ययन को करने के लिए छुट्टी दी जाती है और ऐसे अवकाश के दौरान, अवकाश वेतन देय नहीं है या ऐसी दर पर देय है जो पूर्ण वेतन से कम है, तो सरकार कल्पित (नोशनल) परिलब्धि जिसमें नियम 5 में निर्दिष्ट छुट्टी वेतन और महंगाई भत्ता का चौदह प्रतिशत या समय-समय पर यथाअधिसूचित ऐसे अन्य प्रतिशत की रकम प्रत्येक मास अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंशदान करेगी।

(2) उप नियम(1) के परंतुक के अधीन, सरकार द्वारा उस अवधि के लिए कोई अंशदान नहीं किया जाएगा, जिसके दौरान अभिदाता को इन नियमों के अनुसार अंशदान करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) अभिदाता के निलंबन के अधीन होने की दशा में, सरकार द्वारा ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान अभिदाता को दिए जाने वाले निर्वहन भत्ते को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई परिलब्धियों के आधार पर अंशदान किया जाएगा:

परंतु निलंबन की अवधि के दौरान सरकार द्वारा कोई अंशदान नहीं किया जाएगा जहां अभिदाता ने निलंबन की कथित अवधि के दौरान अपने अंशदान का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुना था:

परंतु यह और कि, जहां जाँच के निष्कर्ष पर सरकार द्वारा पारित अंतिम आदेशों में निलंबन के दौरान अवधि को छूटी के रूप में या अवकाश माना जाता है, जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए सरकार द्वारा अंशदान का निर्धारण, उन परिलब्धियों के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए अभिदाता निलंबन की अवधि के लिए हकदार हो जाता है। सरकार द्वारा जमा की जाने वाले अंशदान की रकम और निलंबन की अवधि के दौरान पहले से जमा की गई अंशदान की रकम के अंतर को ब्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर सामान्य भविष्य निधि निक्षेपों के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्णित ब्याज की दर होगी।

(4) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या अन्य संयुक्त राष्ट्र निकाय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, या एशियाई विकास बैंक या राष्ट्रमंडल सचिवालय या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनियुक्ति सहित भारत में या भारत के बाहर विदेश सेवा के दौरान व्यक्तिगत पेंशन खाते में सरकार द्वारा अंशदान को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(5) अभिदाता द्वारा अंशदान की रकम के प्रेषण के मामले में समय-सीमा के लिए यथालागू उपबंध सरकार द्वारा अंशदान के प्रेषण के मामले में भी लागू होंगे। अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विहित समयावधि के पश्चात अंशदान जमा करने में विलंब होने की दशा में, जिसमें अभिदाता की गलती न हो, नियम 8 के अनुसार यथानिर्धारित, अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में विलंबित अवधि के लिए ब्याज सहित रकम जमा की जाएगी।

8. अंशदान के विलंब से जमा होने पर ब्याज- (1) ऐसा विलंब, जिसमें अभिदाता जिम्मेदार न हो, होने की दशा में

(क) नियम 4 में विहित समय सीमा के पश्चात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाता के पंजीकरण में विलंब होने के कारण मासिक अंशदान का प्रारम्भ होना; या

(ख) नियम 6 में विहित समय सीमा के पश्चात अभिदाता के वेतन से मासिक अंशदान की कटौती या उसके व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा करना; या

(ग) नियम 7 में विहित समय सीमा के पश्चात अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में सरकार द्वारा मासिक अंशदान को जमा करना,

विलंबित अवधि के लिए अंशदान की रकम ब्याज सहित अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में जमा की जाएगी और कर्मचारी के व्यक्तिगत पेंशन खाते में अंशदान की रकम जमा करने के तीस दिन की अवधि के भीतर ब्याज जमा किया जाएगा तथा इस प्रयोजनार्थ ब्याज की दर लोक भविष्य निधि निक्षेपों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविनिश्चित ब्याज की दर होगी:

परंतु 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसंबर, 2012 की अवधि के लिए लागू ब्याज दर, वित्तीय सेवा विभाग की तारीख 31 जनवरी, 2019 की अधिसूचना सं. 1/3/2016-पीआर और व्यय विभाग की तारीख 12 अप्रैल, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1(21)/ईवी/2018 द्वारा यथाअधिसूचित होगी।

(2) (क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाता के पंजीकरण या नियम 4 के अधीन अंशदान आरंभ होने या नियम 6 के अधीन अभिदाता के मासिक अंशदान में कटौती या जमा होने या नियम 7 के अधीन सरकार द्वारा अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते में मासिक अंशदान जमा करने में विलंब होने के प्रत्येक मामले में विभागाध्यक्ष या मुख्य लेखा नियंत्रक या उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए यथा विनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षा की जाएगी;

(ख) यदि विभागाध्यक्ष या मुख्य लेखा नियंत्रक या महालेखाकार या सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रशासनिक चूक के कारण विलंब हुआ है, तो ब्याज के भुगतान के कारण सरकार को हुए आर्थिक नुकसान की रकम का भुगतान करने के लिए अपचारी अधिकारी या अधिकारीगण दायी होंगे;

(ग) अपचारी अधिकारी या अधिकारियों की ज़िम्मेदारी और देयता की रकम उसी तरह से अवधारित की जाएगी जिस प्रकार आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 398(3) के अधीन स्रोत पर कर कटौती के लिए विलंबित कटौती या प्रेषण के मामले में की जाती है और यह इस संबंध में प्रशासनिक चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारी या अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित किसी भी ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले होगा।

9. **संचित पेंशन कॉर्पस का निवेश-** किसी अभिदाता के संबंध में संचित पेंशन कॉर्पस को, ऐसे पेंशन निधि या निधियों द्वारा और ऐसी रीति से निवेश किया जा सकेगा जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाए।

10. **सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु या अशक्तता या निःशक्तता होने पर हितलाभ प्राप्त करने का विकल्प-** (1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कवर किया गया प्रत्येक सेवा सदस्य, उसकी मृत्यु या निःशक्तता के आधार पर सेवामुक्ति या अशक्तता होने पर सेवानिवृत्ति होने की दशा में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 या केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन हितलाभ पाने के लिए सरकारी सेवा में कार्यग्रहण करने के समय प्ररूप 1 में विकल्प का प्रयोग करेगा, ऐसे सेवा सदस्य, जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन आते हैं, वे भी इन नियमों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र ऐसे विकल्प का प्रयोग करेंगे।

(2) यह विकल्प कार्यालयाध्यक्ष या जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ किसी ऐसे नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसमें प्रस्तुत सभी तथ्यों को सत्यापित करने के पश्चात उसे स्वीकृत करेगा और इसे कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में रखेगा, कार्यालयाध्यक्ष या जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ किसी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विकल्प की प्रतिलिपि, लेखा अधिकारी या इस प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और वेतन एवं लेखा अधिकारी या राज्य नोडल अधिकारी के माध्यम से उनके अभिलेख के लिए केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को अग्रेषित की जाएगी और ऐसे अधिकारी, सेवा के सदस्य द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के बारे में ब्यौरों को उपदर्शित करते हुए ऑनलाइन प्रणाली में उपयुक्त प्रविष्टि भी करेंगे।

(3)(क) (i) प्रत्येक सेवा सदस्य प्ररूप 1 में विकल्प सहित प्ररूप 2 में कुटुंब के ब्यौरों को भी कार्यालयाध्यक्ष या जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ किसी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा;

(ii) यदि सेवा सदस्य का कोई कुटुंब नहीं है, तो उसे कुटुंब का अभिग्रहण करते ही प्ररूप 2 में ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे।

(ख) सेवा सदस्य अपने बच्चे के विवाह के तथ्य सहित कुटुंब के सदस्यों की संख्या में कोई उत्तरवर्ती परिवर्तन होने पर कार्यालयाध्यक्ष या जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ किसी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को संसूचित करेगा।

(ग) (i) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 22 में निर्दिष्ट निःशक्तता जब भी किसी बालक में होती है जिसके कारण वह अपनी जीविका अर्जित करने में असमर्थ है, तो इस तथ्य को सिविल सर्जन के पद के समतुल्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ कार्यालयाध्यक्ष या जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ किसी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को संसूचित करना होगा। इसे कार्यालयाध्यक्ष या जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ किसी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 2 में उपदर्शित किया जाएगा।

(ii) जब भी पारिवारिक पेंशन के लिए दावा किया जाता है, तो बालक का विधिक संरक्षक, कम से कम सिविल सर्जन के पद के समतुल्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए नये चिकित्सा प्रमाणपत्र सहित आवेदन कर सकेगा कि बालक अभी भी निःशक्तता से ग्रस्त है।

(घ)(i) कार्यालयाध्यक्ष या जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ किसी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्ररूप 2 की अभिप्राप्ति पर, प्ररूप 2 की अभिप्राप्ति अभिस्वीकृत करेगा और इस संबंध में सेवा सदस्य से प्राप्त सभी भावी पत्रों को इसकी अभिप्राप्ति की तारीख का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेगा और इसे संबंधित सेवा सदस्य की सेवा पुस्तिका पर चिपकाने की व्यवस्था करेगा।

(ii) कुटुंब के आकार में हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में सेवा सदस्य से पत्र प्राप्त होने पर कार्यालयाध्यक्ष ऐसे परिवर्तन को प्ररूप 2 में सम्मिलित करेगा।

(4) (i) उप नियम(1) के अधीन प्रयोग किया गया विकल्प, अभिदाता द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व नया विकल्प दे कर कार्यालयाध्यक्ष या जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ किसी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अपने संशोधित विकल्प की संसूचना देते हुए किसी भी समय संशोधित किया जा सकेगा। संशोधित विकल्प की अभिप्राप्ति पर, कार्यालयाध्यक्ष या जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ किसी नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी तथा वेतन और लेखा अधिकारी उप नियम (2) में यथाउल्लिखित आगे की कार्रवाई करेंगे;

(ii) अशक्तता या निःशक्तता होने पर सेवामुक्त किए गए किसी अभिदाता को ऐसी सेवामुक्ति के समय नया विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा;

iii. जहां ऐसा अभिदाता नए विकल्प का प्रयोग नहीं करता है या सेवामुक्ति के समय नए विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो अभिदाता द्वारा पूर्वतः प्रयोग किया गया विकल्प प्रवृत्त हो जाएगा;

(iv) जहां अभिदाता द्वारा किसी विकल्प का चयन नहीं किया गया था और अभिदाता सेवामुक्ति के समय किसी विकल्प का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो उसके मामले को उप नियम (6) के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

(5) सेवा में रहते हुए किसी अभिदाता की मृत्यु होने की दशा में, मृतक अभिदाता द्वारा अपनी मृत्यु से पूर्व प्रयोग किए गए अंतिम विकल्प को निर्णायक माना जाएगा और कुटुंब के पास विकल्प को संशोधित करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(6)(i) जहां अभिदाता ने उप नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग नहीं किया था और पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व या इन नियमों की अधिसूचना के तीन वर्ष के भीतर दिवंगत हो जाता है, तो यथास्थिति, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार, उसके कुटुंब को डिफ़ॉल्ट विकल्प के रूप में पारिवारिक पेंशन दी जाएगी;

(ii) जहां कोई अभिदाता उप नियम (1) के अधीन विकल्प का प्रयोग किए बिना पंद्रह वर्ष की सेवा पूर्ण होने से पूर्व या इन नियमों की अधिसूचना के तीन वर्ष के भीतर अशक्तता या निःशक्तता होने पर सरकारी सेवा से सेवामुक्त किया

जाता है, और सेवामुक्ति के समय विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में भी नहीं है, तो उसे यथास्थिति, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के उपबंधों के अनुसार, व्यतिक्रम विकल्प के रूप में अशक्तता पेंशन या निःशक्तता पेंशन दी जाएगी;

(iii) अन्य सभी मामलों में, जहां अभिदाता द्वारा किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था, सेवा से सेवामुक्ति पर अभिदाता का दावा और अभिदाता की मृत्यु पर कुटुंब का दावा पेंशन निधि_विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार व्यतिक्रम विकल्प के रूप में विनियमित किया जाएगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहां मृतक अभिदाता अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के अधीन या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन फायदों के लिए उप नियम (1) के अनुसार उपयोग किया गया विकल्प या उप नियम (6) के अनुसार व्यतिक्रम विकल्प अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन पारिवारिक पेंशन देने के लिए कुटुंब के किसी पात्र सदस्य की अनुपलब्धता के कारण निष्फल हो जाता है, तो ऐसे विकल्प को अमान्य माना जाएगा और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अनुज्ञेय फायदों को कर्मचारी के विधिक वारिस/वारिसों को दिया जाएगा।

11. अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति या सेवा विस्तार - (1) एक अभिदाता, जो अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया है या, यदि अभिदाता की सेवा अधिवर्षिता से आगे बढ़ा दी गई है, तो अधिवर्षिता की आयु के पश्चात सेवा के विस्तार की ऐसी अवधि की समाप्ति पर, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन अभिदाता, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने पर यथा अनुज्ञेय ऐसे सभी फायदों के लिए हकदार होगा।

(2) सेवा का एक सदस्य उस मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त होगा, जिस दिन वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है:

परंतु सेवा का कोई सदस्य, जिसकी जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परंतु यह और कि बजट कार्य करने वाले या किसी समिति, जिसे अल्पावधि के भीतर समाप्त किया जाना है, के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यरत सेवा के किसी सदस्य को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से लोकहित में तीन मास से अधिक की अवधि के लिए सेवा का विस्तार दिया जा सकता है:

परंतु यह भी कि किसी राज्य सरकार के मुख्य सचिव के पद पर आसीन सेवा के सदस्य को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से पूर्ण न्यायोचित्य और लोकहित में संबंधित राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशों पर छह मास से अनधिक अवधि के लिए सेवा विस्तार दिया जा सकता है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, यदि लोकहित में आवश्यक समझे, तो मंत्रिमंडल सचिव, रक्षा सचिव, गृह सचिव, निदेशक (आसूचना ब्यूरो), सचिव (अनुसंधान और विश्लेषण विंग) और निदेशक (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो) के पदों के पदधारियों को ऐसी अवधि के लिए सेवा में विस्तार दे सकती है, जो वह उचित समझे:

परंतु मंत्रिमंडल सचिव, जिसे सेवा का ऐसा विस्तार दिया गया है, का कुल कार्यकाल चार वर्ष से अधिक नहीं होगा:

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो मंत्रिमंडल सचिव को चार वर्ष की अवधि के पश्चात और अवधि के लिए सेवा में विस्तार दे सकती है, जो तीन मास से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह भी कि अन्य सचिवों और निदेशकों का कुल कार्यकाल, जिन्हें इन नियमों के अधीन सेवा के ऐसे विस्तार प्रदान किए गए हैं, दो वर्ष से अधिक नहीं होंगे:

बशर्ते यह भी कि केन्द्रीय सरकार, यदि लोकहित में आवश्यक समझे, तो गृह सचिव और रक्षा सचिव को दो वर्ष की अवधि के पश्चात अतिरिक्त अवधि के लिए सेवा में विस्तार दे सकेगी, जो तीन मास से अधिक नहीं होगी।

(4) इस नियम के अधीन सेवा के किसी सदस्य को पूर्वव्यापी प्रभाव से सेवा विस्तार देने के आदेश जारी करने पर कोई रोक नहीं है।

12. सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति - (1) सेवा का कोई भी सदस्य, संबंधित राज्य सरकार को कम से कम तीन मास की पूर्व लिखित सूचना देकर, उस तारीख को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाता है, जिस तारीख को, ऐसा सदस्य तीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करता है या पचास वर्ष की आयु प्राप्त करता है या तत्पश्चात् किसी भी ऐसी तारीख को जिसे सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सेवा से सेवानिवृत्त होता है:

परंतु निलंबनाधीन सेवा का कोई भी सदस्य केन्द्रीय सरकार के विशिष्ट अनुमोदन के बिना सेवा से सेवानिवृत्त नहीं होगा:

परंतु यह और कि संबंधित राज्य सरकार, सेवा सदस्य द्वारा किए गए अनुरोध पर, यदि संतुष्ट हो और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे सूचना की अवधि शिथिल कर सकेगी:

परंतु यह भी कि इस उप नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार को संबोधित किसी सूचना को विधिमान्य माना जा सकता है क्योंकि सूचना में दोष केवल औपचारिक है, और विहित प्ररूप के अभाव में, सूचना की एक प्रति के पृष्ठांकन को सूचना को संबोधित करने के समान माना जाएगा।

(2) सेवा का कोई सदस्य, संबंधित राज्य सरकार को तीन मास की पूर्व लिखित सूचना देने के पश्चात्, बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने या तत्पश्चात् किसी भी ऐसी तारीख को जिसे सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है:

परंतु सेवा के किसी सदस्य द्वारा दी गई सेवानिवृत्ति की सूचना को केन्द्रीय सरकार द्वारा तब स्वीकृत किए जाने की अपेक्षा होगी जब सूचना की अवधि की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति की तारीख, उस तारीख से पहले होगी जिस दिन सेवारत सदस्य उप नियम (1) के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता था:

परंतु यह और भी सेवा का कोई सदस्य, जो सरकार द्वारा पूर्ण रूप से या पर्याप्त रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या कंपनी में या सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर है, स्वयं को ऐसे निगम, कंपनी या निकाय में स्थायी रूप से अवशोषित करवाकर इस नियम के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त होने के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यह भी कि असम-मेघालय, मणिपुर-त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम के संवर्ग में सेवारत कोई सदस्य उस तारीख को सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है जिस दिन वह पंद्रह वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है।

(3) (क) उपनियम (1) और उप नियम (2) के अधीन सेवारत सदस्य द्वारा लिखित रूप में दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना, सेवा के सदस्य द्वारा उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत करके वापस ली जा सकेगी।

(ख) सेवा के किसी सदस्य द्वारा दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने के पश्चात्, केवल संबंधित सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से उसके द्वारा वापस लिया जा सकता है, परंतु सूचना की अवधि समाप्त होने से पहले ऐसे प्रत्याहरण के लिए अनुरोध किया गया हो।

(ग) ऐसे मामलों, जहां बड़ी शास्ति के अधिरोपण के लिए सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित हैं या उस पर विचार किया जा रहा है और अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह विचार करता है कि सेवा से हटाने या पदच्युत के लिए बड़ी शास्ति का अधिरोपण करना आवश्यक होगा, में संबंधित अधिकारी द्वारा दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को आमतौर पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

(घ) ऐसे मामलों में, जहां सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाने पर विचार किया गया है या शुरू किया गया है, उसके द्वारा दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को आमतौर पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

(ङ) सेवा के किसी सदस्य, जो अध्ययन छुट्टी पर है या जिसने अध्ययन छुट्टी के पूरा होने पर तीन वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी नहीं की है, द्वारा दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना को आमतौर पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

(4) जहां उप नियम (1) और उप नियम (2) के अधीन सेवा के किसी सदस्य द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना दी है, और सक्षम प्राधिकारी उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले कोई आदेश जारी नहीं करता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से प्रभावी हो जाएगी:

परंतु सेवा का कोई सदस्य, जिसने पूर्वोक्त नियम के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सूचना दी है, वह तीन मास की अवधि की समाप्ति पर सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा, चाहे उसे सूचना देने के पश्चात् निलंबनाधीन रखा गया हो:

परंतु यह और कि जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है, वहां सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार आदेश जारी कर सकेगी।

(5) इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'सक्षम प्राधिकारी' अभिव्यक्ति का आशय, उस प्राधिकारी से होगा, जिसे उप नियम (1) और उप नियम (2) के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना स्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त है।

(6) असाधारण छुट्टी, उप नियम (1) और उप नियम (2) के अधीन दी गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की सूचना की अवधि के साथ-साथ नहीं चल सकती है।

(7) सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर अभिदाता, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन उन्हीं फायदों के लिए हकदार होगा, जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता को अनुज्ञेय हैं।

(8) यदि अभिदाता सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या फायदों के संदाय को आस्थगित करने के लिए इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग करेगा।

13. समय से पूर्व सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता की आयु से पूर्व सेवानिवृत्ति. - (1) केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से, सेवा के ऐसे सदस्य को कम से कम तीन मास की पूर्व लिखित सूचना या ऐसे सूचना के बदले में तीन मास का वेतन और भत्ता देने के पश्चात् लोकहित में सेवा से निम्नानुसार सेवानिवृत्त कर सकेगी, -

(क) समीक्षा के पश्चात्, जब ऐसा सदस्य पंद्रह वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेता है; या

(ख) समीक्षा के पश्चात्, यथास्थिति, जब ऐसा सदस्य पच्चीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेता है या पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है; या

(ग) यदि उपरोक्त (क) या (ख) में निर्दिष्ट समीक्षा नहीं की गई है, तो किसी अन्य ऐसे समय समीक्षा के पश्चात्, जैसा केन्द्रीय सरकार ऐसे सदस्य की बाबत उचित समझे।

स्पष्टीकरण- उप नियम (1) के प्रयोजन के लिए, "समीक्षा" से सेवा में आगे प्रतिधारण के लिए ऐसे सदस्य की उपयुक्तता या अन्यथा के संबंध में सेवा के सदस्य के संपूर्ण सेवा अभिलेख की समीक्षा से अभिप्रेत है, जो ऐसी सेवा के प्रत्येक सदस्य की नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए, यथास्थिति, पहली, अर्हक सेवा के पंद्रह वर्ष के पूरा होने के पश्चात्, और दूसरी, पच्चीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने के पश्चात् या पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, या यदि इस उप नियम के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट समीक्षा ऐसे सदस्य के संबंध में आयोजित नहीं की गई है, तो ऐसी समीक्षा किसी ऐसे अन्य समय पर की जा सकती है जैसा कि केन्द्रीय सरकार उचित समझे।

(2) राज्य सरकारें लोकहित में तीन मास की लिखित सूचना देने के पश्चात् अखिल भारतीय सेवा के उन अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कार्रवाई शुरू कर सकेगी और सुझाव दे सकेंगी, जिन्होंने तीस वर्ष की अर्हक सेवा की है या पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और ऐसे प्रत्येक मामले में आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए जाने की आवश्यकता होगी, परंतु उक्त आदेशों को प्रभावी करने वाली औपचारिक अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की जाएगी।

(3) सरकार अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य के पचास वर्ष की आयु पूरे होने या तीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले ही उसकी सेवानिवृत्ति की सूचना, इस शर्त के अधीन दे सकती है कि वास्तविक सेवानिवृत्ति उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने या तीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् होगी।

(4) कोई अभिदाता, जो उप नियम (1) से उप नियम (3) के अनुसार अधिवर्षिता की आयु से पहले सेवानिवृत्त हो रहा है या सेवानिवृत्त हो गया है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन उन्हीं फायदों के लिए हकदार होगा, जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता को अनुज्ञेय होंगे।

(5) यदि अभिदाता अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन फायदों के संदाय को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग करेगा।

14. सरकारी सेवा से त्यागपत्र - (1) किसी सेवा या पद से त्यागपत्र देने पर, जब तक कि इसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लोकहित में प्रत्याहृत करना अनुज्ञात न हो, अधिवर्षिता से पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से किसी अभिदाता के निर्गम होने के मामले में, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस में से उसे यथा अनुज्ञेय एकमुश्त और वार्षिकी संदत्त की जाएगी,

परंतु एकमुश्त निकासी और वार्षिकी का ऐसा संदाय, उस तारीख, जिससे त्यागपत्र प्रभावी होता है और अभिदाता अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाता है, से 90 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व नहीं किया जा सकेगा,:

बशर्ते यह और कि यदि अभिदाता की मृत्यु उस तारीख से नब्बे दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व हो जाती है, जिस दिन से त्यागपत्र प्रभावी हो जाता है, तो संदाय उस व्यक्ति को किया जाएगा, जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार, अधिवर्षिता से पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता के निर्गम होने के मामले में यथा अनुज्ञेय, ऐसा संदाय प्राप्त करने हेतु पात्र हों:

परंतु यह भी कि प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार, अभिदाता अपने विकल्प पर गैर-सरकारी सदस्य के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

(2) जहां उचित अनुज्ञा के साथ, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उसी विभाग या किसी अन्य विभाग में अस्थायी या स्थायी नियुक्ति ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है और ऐसे विभाग के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सम्मिलित हैं, तो अभिदाता नई नियुक्ति लेने पर उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की

सदस्यता जारी रख सकेगा और उसे सरकारी सेवा में सबसे पहली बार नियुक्त किए गए पद पर उसके कार्यग्रहण करने की तारीख से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का सदस्य समझा जाएगा।

परंतु जहां ऐसे विभाग या राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, वहां अभिदाता पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अधिवर्षिता पर अभिदाता के निर्गम होने के मामले में यथाअनुज्ञेय फायदों को प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

परंतु यह और कि जहां ऐसे विभाग या राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन नहीं आते हैं, वहां ऐसा अभिदाता, अपने विकल्प पर, इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

(3) (क) केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर लोकहित में निम्नानुसार अपना त्यागपत्र वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगी, अर्थात: -

- (i) कि त्यागपत्र को सेवा सदस्य द्वारा कुछ आवश्यक कारणों से दिया गया था, जिसमें उसकी सत्यनिष्ठा, दक्षता, या आचरण पर कोई प्रतिबिंब अंतर्वलित नहीं था और उन परिस्थितियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप त्यागपत्र को वापस लेने का अनुरोध किया गया है, जिसके कारण वह मूल रूप से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हुआ था;
- (ii) जिस तारीख को त्यागपत्र प्रभावी हुआ था और जिस तारीख को त्यागपत्र वापस लेने के लिए अनुरोध किया गया था, की मध्यवर्ती अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति का आचरण किसी भी तरह से अनुचित नहीं था;
- (iii) कि जिस तारीख को त्यागपत्र प्रभावी हुआ था और जिस तारीख को व्यक्ति को त्यागपत्र वापस लेने की अनुज्ञा मिलने के परिणामस्वरूप फिर से कार्यग्रहण करने की अनुमति दी गई, उनके बीच झूटी से अनुपस्थिति की अवधि 90 दिन से अधिक नहीं है;
- (iv) कि वह पद, जो सेवा के सदस्य के त्यागपत्र की स्वीकृति पर उसके द्वारा खाली किया गया था, या कोई अन्य समान पद उपलब्ध है।

(ख) वहाँ त्यागपत्र को वापस लेने का अनुरोध केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, जहां सेवा का कोई सदस्य किसी निजी वाणिज्यिक कंपनी या निगम या सरकार के पूर्णतः या सारतः स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित निकाय के अधीन नियुक्ति लेने के लिए सेवा या पद से त्यागपत्र देता है।

(ग) वहाँ त्यागपत्र को वापस लेने का अनुरोध केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, जहां कोई सेवा सदस्य किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन, जो राजनीति में भाग लेता है, से जुड़ने या किसी राजनीतिक आंदोलन या राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने या संचायना करने या किसी अन्य तरीके से सहायता करने या किसी विधायिका या स्थानीय प्राधिकरण हेतु किसी चुनाव के लिए प्रचार करने या अन्यथा हस्तक्षेप करने के संबंध में अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए अपनी सेवा या पद से त्यागपत्र देता है।

(घ) जब केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को अपना त्यागपत्र वापस लेने और कार्यग्रहण करने की अनुमति देने के लिए आदेश पारित किया जाता है, तो उस आदेश में सेवा में व्यवधान को माफ करना शामिल समझा जाएगा किंतु व्यवधान की अवधि की गणना अर्हक सेवा के रूप में नहीं की जाएगी।

15. किसी निगम, कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेसन पर लाभ - (1) कोई अभिदाता, जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्णतः या सारतः स्वामित्व या नियंत्रित निगम या कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित किसी निकाय में या उसके अधीन किसी सेवा या पद में आमेलित होने के लिए अनुमति प्रदान की गई है, तो उसे ऐसे आमेलन की तारीख से सेवा से सेवानिवृत्त हो गया माना जाएगा और वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अधिवर्षिता पर अभिदाता के निर्गम होने के मामले में यथास्वीकार्य लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।

परंतु यदि नए संगठन में समान प्रणाली विद्यमान है, तो अभिदाता, नए संगठन में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रखेगा, और उस स्थिति में ऐसे आमेलन के समय उसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा किंतु नए निकाय या संगठन, आदि जहां अभिदाता को आमेलित किया गया है, से निर्गम होने के पश्चात् उसे लाभ प्राप्त होंगे:

परंतु यह और कि जहां ऐसे स्वायत्त या सांविधिक निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के द्वारा सम्मिलित नहीं किए गए हैं, वहां ऐसा अभिदाता, अपने विकल्प पर, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसार गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन उपबंध, उन अभिदाताओं पर भी लागू होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संयुक्त नियंत्रण के पूर्णतः अधीन या दो या अधिक राज्य सरकारों, या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संयुक्त नियंत्रण के अधीन, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों में आमेलित होने हेतु अनुमति दी गई है।

स्पष्टीकरण (1) - “आमेसन की तारीख” वह होगी, जब अभिदाता,-

(क) किसी निगम या कंपनी या निकाय में तत्काल आमेलन के आधार पर कार्यग्रहण करता है, जिस तारीख को वह वस्तुतः उस निगम या कंपनी या निकाय में कार्यग्रहण करता है;

(ख) प्रारम्भ में विदेशी सेवा के निबंधनों पर किसी निगम या कंपनी या निकाय में कार्यग्रहण करता है, जिस तारीख से सरकार द्वारा उसका अनर्ह त्यागपत्र स्वीकृत किया जाता है; और

स्पष्टीकरण (2) - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, ‘निकाय’ से स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय अभिप्रेत है।

16. अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति पर हकदारी - (1) अभिदाता के निःशक्त होने के मामले में, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, उक्त धारा के उपबंधों द्वारा शासित होगा:

परंतु ऐसा अभिदाता, दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन यथाविहित सक्षम प्राधिकारी से निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा,

(2) यदि कोई अभिदाता, ऐसे मामले में, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं हैं, किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता, जो उसे स्थायी रूप से सेवा के लिए असमर्थ करती है, के कारण सेवा से निवृत्त होने का आशय रखता है, वह अविधिमान्यता संबंधी सेवानिवृत्ति पर लाभों के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा:

परंतु अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति के लाभों के लिए अभिदाता के पति/पत्नी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा न होने पर अभिदाता के कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत आवेदन भी स्वीकृत किया जा सकेगा, यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अभिदाता शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण ऐसा आवेदन स्वयं प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है:

परंतु यह और कि अभिदाता, जिसे निःशक्तता हुई हो और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 के उपबंध लागू होते हैं, इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने का आशय रखता है, तो अभिदाता को सलाह दी जाएगी कि उसके पास उसी वेतन मैट्रिक्स और सेवा लाभों, जिनका वह अन्यथा हकदार है, के साथ सेवा जारी रखने का विकल्प है, यदि अभिदाता इस नियम के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस नहीं लेता है, तो उसके अनुरोध पर इस नियम के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

(3) वह सरकार, जिसके अधीन सेवा सदस्य सेवारत है, उप नियम (2) के अधीन आवेदन की अभिप्राप्ति पर, ऐसे आवेदन की अभिप्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य से ऐसे अनुरोध की अभिप्राप्ति के तीस दिन के भीतर अभिदाता की जांच के लिए एक चिकित्सा बोर्ड के लिए अनुरोध करेगी तथा चिकित्सा बोर्ड को उस सरकार द्वारा, जिसके अधीन सेवा सदस्य सेवारत है, सूचना उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें अभिदाता के आधिकारिक अभिलेख से अभिदाता की आयु का उल्लेख होगा, और यदि अभिदाता की सेवा पुस्तिका है, तो उसके अनुसार उसकी आयु का ब्यौरा देने वाली विवरणी होगी और चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच के लिए अनुरोध करने वाले सरकार के पत्र की प्रति अभिदाता को पृष्ठांकित की जाएगी।

(4) अभिदाता, उस बोर्ड द्वारा नियत तारीख पर चिकित्सा परीक्षण के लिए संबंधित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और चिकित्सा बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करेगा कि अभिदाता आगे की सेवा के लिए योग्य है या नहीं या फिर वह जिस कार्य में कार्यरत है, उससे कम श्रम वाले कार्य के लिए, आगे की सेवा के लिए योग्य है।

(5) (क) सेवा के लिए असमर्थता का कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जा सकेगा जब तक कि चिकित्सा बोर्ड को सरकार से अभिदाता की चिकित्सा परीक्षा के लिए अनुरोध न मिला हो।

(ख) असमर्थता प्रमाण-पत्र को अनुप्रमाणित किया जाएगा-

- (i) यदि सेवा सदस्य भारत से बाहर छुट्टी पर हैं, तो उस देश के भारतीय मिशन द्वारा इस प्रयोजन हेतु संयोजित चिकित्सा बोर्ड द्वारा, जहां सेवा सदस्य छुट्टी पर है;
- (ii) अन्य मामलों में, उस राज्य के मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा जहां सेवा सदस्य कर्तव्यरूढ़ है या छुट्टी पर है और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जहां व्यवहार्य हो, ऐसे बोर्ड की अध्यक्षता करेगा।

(ग) जहां वह भारत से बाहर छुट्टी पर है, उसके सिवाय कोई भी सेवा सदस्य असमर्थता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन नहीं करेगा और ऐसा कोई प्रमाण-पत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि,-

- (i) आवेदक यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है कि सरकार, मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी के समक्ष उपस्थिति होने के उसके आशय से अवगत है; और
- (ii) मुख्य प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी को आवेदक की आयु के बारे में सूचित किया जाता है जैसा कि उसकी सेवाओं के इतिहास में अभिलिखित है और उसे तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान उसके द्वारा ली गई छुट्टी और चिकित्सा संबंधी मामले के इतिहास और अपनाए गए उपचार के बारे में यथासंभव जानकारी दी जाती है।

(घ) यदि चिकित्सा बोर्ड, यद्यपि सेवा सदस्य में कोई विशिष्ट बीमारी नहीं पाता है, तथापि उसे साठ वर्ष से कम आयु के दौरान सामान्य दुर्बलता के कारण आगे की सेवा के लिए असमर्थ मानता है, तो वह अपनी राय के लिए विस्तृत कारण देगा और जहां भी संभव हो, ऐसे मामलों में दूसरी चिकित्सा राय प्राप्त की जाएगी।

टिप्पण:- ऐसे मामले में, एक ऐसा विवरण, जिसमें उन आधारों को दिया जाएगा, जिन पर किसी सेवा सदस्य को निःशक्त करने का प्रस्ताव है, उस सरकार द्वारा, जिसके अधीन वह सेवारत है चिकित्सा बोर्ड को अग्रेषित किया जाएगा।

(ङ) किसी प्रमाण पत्र कि असमर्थता वृद्धावस्था या बढ़ती आयु के प्राकृतिक क्षय के कारण है, अविधिमान्यता पर सेवा सदस्य को सेवानिवृत्त करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाएगा।

(च) कोई सेवा सदस्य, जिसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा आगे की सेवा के लिए स्थायी रूप से असमर्थ घोषित किया गया है, को यदि वह छुट्टी पर है, अवमुक्ति की तारीख से सेवा से अमान्य कर दिया जाएगा, जिसका चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बिना देरी अथवा, यदि उसे छुट्टी दी जाती है; तो ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर व्यवस्था की जाएगी:

परंतु यह कि यदि वह चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने के समय छुट्टी पर है, तो उसे उस छुट्टी की समाप्ति पर अथवा खंड (छ) के अधीन उसे दी गई छुट्टी के विस्तार, यदि कोई हो, की समाप्ति पर सेवा से अमान्य कर दिया जाएगा।

(छ) कोई सेवा सदस्य, जिसके संबंध में किसी चिकित्सा बोर्ड ने सूचित किया है कि उसके कभी भी छुट्टी पर लौटने के लिए उपयुक्त होने की कोई उचित संभावना नहीं है, उसे निम्नानुसार को छोड़कर छुट्टी नहीं दी जा सकती है, अर्थात्: -

- (i) यदि चिकित्सा बोर्ड निश्चित रूप से यह कहने में असमर्थ है कि सेवा सदस्य फिर कभी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं होगा, तो उसे कुल मिलाकर बारह मास से अधिक की छुट्टी नहीं दी जा सकती है और इस तरह की छुट्टी को चिकित्सा बोर्ड के अगले निर्देश के बिना नहीं बढ़ाया जाएगा;
- (ii) यदि चिकित्सा बोर्ड द्वारा किसी सेवा सदस्य को आगे की सेवा के लिए पूरी तरह से और स्थायी रूप से अक्षम घोषित किया गया है, तो चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उसे छुट्टी या छुट्टी का कोई विस्तार दिया जा सकेगा, परंतु इस तरह दी गई छुट्टी की संख्या कुल मिलाकर, उस तारीख के बाद जिस पर चिकित्सा बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे, छुट्टी की किसी भी अवधि के साथ छह मास से अधिक नहीं होगी।

- (ज) चिकित्सा बोर्ड के प्रमाण पत्र के जारी होने पर अविधिमान्य पेंशन स्वतः प्रदत्त नहीं है, किंतु ऐसे सदस्य को अविधिमान्य पेंशन पर सेवा से सेवानिवृत्त करने वाली सरकार के आदेश द्वारा प्रदान की जाएगी।
- (6) जब किसी महिला अभ्यर्थी की जांच की जानी हो, तो एक महिला चिकित्सक को चिकित्सा बोर्ड के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।
- (7) जहां उप नियम (3) में निर्दिष्ट चिकित्सा बोर्ड ने उप नियम (2) में उल्लिखित किसी अभिदाता को आगे की सेवा के लिए योग्य नहीं पाया है या उसे, उसके द्वारा दी जाने वाली सेवा से कम परिश्रमी प्रकार की सेवा के लिए योग्य पाया है, तो प्ररूप 3 में चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा और यदि अभिदाता को आगे की सेवा के लिए अयोग्य पाया जाता है, तो उसे अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभ दिए जा सकेंगे।
- (8) यदि अभिदाता को, उसके द्वारा दी जाने वाली सेवा से कम परिश्रमी प्रकार की सेवा के लिए योग्य पाया जाता है, यदि वह इस प्रकार नियोजित होने का इच्छुक हो, तो जिस पद पर वह कार्यरत था उससे निचले पद पर नियोजित किया जा सकेगा और यदि उसे निचले पद पर भी नियोजित करने का कोई उपाय न हो, तो उसे अविधिमान्यता पर सेवानिवृत्ति के हितलाभ दिए जा सकेंगे।
- (9) जहां अभिदाता, जिसने विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 या केंद्रीय सिविल सेवाएं (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने हेतु नियम 10 के अधीन व्यतिक्रम विकल्प है; और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी भी ऐसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण, जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम कर देती है, सेवानिवृत्त होता है, तो अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के अनुसरण में लाभों के संवितरण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्यवाई की जा सकेगी।
- (10) यदि अभिदाता, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के अधीन उप नियम (9) के अनुसरण में हितलाभ प्राप्त करता है, तो अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद कर दिया जाएगा और अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का संदत्त अभिदाता को एकमुश्त में किया जाएगा।
- (11) जहां अभिदाता ने, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में इन नियमों के नियम 10 के अधीन व्यतिक्रम विकल्प है; और जिसके मामले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, वह किसी भी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण, जो उसे सेवा के लिए स्थायी रूप से अक्षम कर देती है, सेवानिवृत्त होता है, तो उसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में अभिदाता की अधिवर्षिता पर निर्गम होने के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ प्रदान किए जा सकेंगे।
- (12) यदि अभिदाता, उप नियम (11) के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हो गया है, और सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने

या हितलाभ के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग करेगा।

17. निःशक्तता के कारण सेवा से कार्यमुक्त किए जाने पर पात्रता- (1) जहां अभिदाता, जिसने विकल्प का प्रयोग किया था और जिसके मामले में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 या केंद्रीय सिविल सेवाएं (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए नियम 10 के अधीन व्यतिक्रम का विकल्प है; सरकारी सेवा के कारण होने वाली निःशक्तता की वजह से सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है, तो केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अनुसरण में हितलाभों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष अथवा जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ किसी अन्य नामोदित प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(2) यदि अभिदाता, उप नियम(1) के अनुसरण में केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन हितलाभ प्राप्त करता है, तो अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद कर दिया जाएगा और अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त में किया जाएगा।

(3) जहां अभिदाता ने, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन लाभ प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में इन नियमों के नियम 10 के अधीन व्यतिक्रम विकल्प है; वह सरकारी सेवा के कारण होने वाली निःशक्तता के कारण सेवामुक्त किया जाता है, उसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में, अभिदाता की अधिवर्षिता पर निर्गम होने के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभ प्रदान किए जा सकेंगे।

4) यदि अभिदाता, उप नियम (3) के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हो गया है और सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या हितलाभ के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

18. अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सरकारी सेवा से हटाए जाने का प्रभाव- (1) जहां अभिदाता, सरकारी सेवा से शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्त होता है या पदच्युत किया या हटा दिया जाता है, वहां प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवर्षिता पूर्व निकासी के मामले में यथास्वीकार्य अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस से एकमुश्त और वार्षिकी रकम संदेय होगी:

परंतु प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में अभिदाता, अपने विकल्प पर, एक गैर-सरकारी अभिदाता के रूप में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदाय करना जारी रख सकेगा।

(2) इन नियमों द्वारा कवर नहीं किए गए उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में ऐसे मामलों में की गई किसी भी कार्रवाई पर उप नियम (1) प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और वे हितलाभ, ऐसे हितलाभों पर यथालागू नियमों के अनुसरण में विनियमित किए जा सकेंगे।

19. सेवानिवृत्ति पर लंबित विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों का प्रभाव- (1) विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां, जो अभिदाता के सेवा में रहने के दौरान शुरू की गई थी, किंतु अभिदाता की सेवानिवृत्ति से पूर्व समाप्त नहीं हुई है या अभिदाता की सेवानिवृत्ति के पश्चात शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही, अभिदाता को उसके संचित पेंशन कॉर्पस से संदेय हितलाभों को प्रभावित नहीं करेगी और प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विनियमों के अनुसरण में, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिदाता की अधिवर्षिता पर निकासी के मामले में यथास्वीकार्य अभिदाता की संचित पेंशन कॉर्पस से एकमुश्त और वार्षिकी रकम संदेय होगी।

(2) ऐसे उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के संबंध में ऐसे मामलों में, जो इन नियमों के अधीन नहीं आते हैं, की गई किसी भी कार्रवाई पर उप नियम (1) के अधीन उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे और ऐसे हितलाभों को, ऐसे हितलाभों पर यथालागू नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

20. अभिदाता की मृत्यु होने पर कुटुंब के लिए पात्रता- (1) मृत्यु होने पर-

(क) अभिदाता जिसने, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त लाभ) नियम, 1958 या केंद्रीय सिविल सेवा नियम (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन हितलाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अधीन व्यतिक्रम विकल्प है; या

(ख) सेवानिवृत्त अभिदाता, जिसे अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त लाभ) नियम, 1958 के नियम 13 के संदर्भ में अशक्तता पेंशन या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के नियम 10 के संदर्भ में निःशक्तता पेंशन मिलती हो, तो केंद्रीय सिविल सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त लाभ) नियम, 1958 के अनुसरण में हितलाभों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष अथवा जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ किसी अन्य नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

परंतु सरकारी सेवा के कारण मृत्यु होने पर, उन सभी नियमों के अधीन हितलाभों की स्वीकृति की सभी शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अनुसरण में हितलाभों के संवितरण के लिए कार्यालयाध्यक्ष अथवा जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ किसी अन्य नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(2) यदि अभिदाता की मृत्यु होने पर, केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 या अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त लाभ) नियम, 1958 के अधीन उप नियम(1) के अनुसरण में कुटुंब को हितलाभ देय हैं, तो अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ, सरकार के खाते में अंतरित किया जाएगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा, जिसके पक्ष में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन नामनिर्देशन किया गया

है। यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है या यदि किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, तो संचित पेंशन कॉर्पस की शेष रकम का भुगतान विधिक उत्तराधिकारी को किया जाएगा।

(3) अभिदाता की मृत्यु होने की दशा में, जिसने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन फायदा प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग किया था या जिसके मामले में नियम 10 के अधीन व्यतिक्रम विकल्प है; ऐसे हितलाभ पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में दिए जा सकेंगे।

21. सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाताओं की सूची तैयार करना- (1) प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष अथवा जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ कोई अन्य नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, प्रत्येक तिमाही अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को ऐसे सभी अभिदाताओं की सूची तैयार कराएगा, जो उस तारीख से अगले बारह से पंद्रह मास के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(2) उप नियम (1) में यथानिर्दिष्ट ऐसी प्रत्येक सूची की एक प्रति, उस वर्ष की, यथास्थिति, 31 जनवरी, 30 अप्रैल, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर तक, संबद्ध वेतन और लेखा अधिकारी अथवा राज्य नोडल अधिकारी को भेजी जाएगी।

(3) अधिवर्षिता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाता के मामले में, कार्यालयाध्यक्ष अथवा जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ कोई अन्य नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी सेवानिवृत्ति के तथ्य की जानकारी मिलते ही उसे यथाशीघ्र संबंधित आहरण और संवितरण अधिकारी तथा वेतन और लेखा अधिकारी अथवा राज्य नोडल अधिकारी को संसूचित करेगा।

(4) यदि संबंधित अभिदाता, सरकारी आवास आबंटिती है, तो उप नियम (3) के अधीन कार्यालयाध्यक्ष अथवा जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ किसी अन्य नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा वेतन और लेखा अधिकारी अथवा राज्य नोडल अधिकारी को भेजी गयी सूचना की प्रति, संपदा निदेशालय या संबंधित प्राधिकारी को भी पृष्ठांकित की जाएगी।

22. बेबाकी प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में सरकारी आवास के लिए संपदा निदेशालय अथवा संबंधित प्राधिकारी को सूचित करना- (1) कार्यालयाध्यक्ष अथवा जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ कोई अन्य नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे अभिदाता, (जिसे इसमें इसके पश्चात् आबंटिती कहा गया है) जिसके पास कोई सरकारी आवास था या है, की सेवानिवृत्ति की पूर्वानुमानित तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व संपदा निदेशालय को आबंटिती की सेवानिवृत्ति के आठ मास पूर्व की अवधि के बारे में "बेबाकी प्रमाण-पत्र" जारी किए जाने के लिए लिखेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, संपदा निदेशालय अथवा सरकारी आवास हेतु संबंधित प्राधिकारी आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

23. अधिवर्षिता पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दावा प्रस्तुत करना- (1) अभिदाता के पास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट पद्धति के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों का दावा प्रस्तुत करने का विकल्प होगा।

(2) प्रत्येक अभिदाता, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने की तारीख से छह मास पूर्व, या जिस तारीख पर वह सेवानिवृत्त होने की तैयारी के लिए आगे बढ़ता है, जो भी पूर्व हो, प्राधिकरण द्वारा विहित आहरण प्ररूप को, आहरण प्ररूप में उल्लिखित दस्तावेजों सहित सम्यक रूप से भरकर कार्यालयाध्यक्ष अथवा जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ किसी अन्य नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। सेवानिवृत्ति के अन्य मामलों में या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी पर अभिदाता ऐसी सेवानिवृत्ति या निकासी के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के जारी होने के तुरंत पश्चात प्राधिकरण द्वारा विहित आहरण प्ररूप को, आहरण प्ररूप में उल्लिखित दस्तावेजों सहित सम्यक रूप से भरकर कार्यालयाध्यक्ष अथवा जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ किसी अन्य नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जहां अभिदाता ने ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से दावा प्रस्तुत किया है, वह उक्त आहरण प्ररूप के प्रिंट-आउट की एक हस्ताक्षरित प्रति को, आहरण प्ररूप में उल्लिखित दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करेगा।

(3) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, दावा आईडी का सृजन करेगी और उन अभिदाताओं, जो अगले छह मास में अधिवर्षिता प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे, के लिए नोडल ऑफिसर, अर्थात् वेतन और लेखा अधिकारी अथवा राज्य नोडल अधिकारी को सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व सूचित करेगी।

24. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दस्तावेजों को पूरा करना और अग्रेषित करना—(1) कार्यालयाध्यक्ष अथवा जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ अन्य नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने स्तर पर हितलाभों के लिए दस्तावेजों को पूरा करेगा और नीचे उल्लिखित प्ररूप में एक आवरण पत्र सहित लेखा अधिकारी के माध्यम से वेतन और लेखा अधिकारी को अग्रेषित करेगा: -

क्रम सं.	सेविनिवृत्ति या निर्गम होने के प्रकार	आवरण पत्र के प्ररूप
(1)	(2)	(3)
1.	अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समयपूर्व सेवानिवृत्ति	प्ररूप 4-क
2.	तकनीकी त्यागपत्र या किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन	प्ररूप 4-ख
3.	त्यागपत्र या शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सेवा से हटाया जाना।	प्ररूप 4-ग
4.	अशक्तता या निःशक्तता पर सेवानिवृत्ति	प्ररूप 4-घ
5.	सेवा के दौरान मृत्यु	प्ररूप 4-ङ

(2) अधिवर्षिता प्राप्त होने पर अभिदाता के सेवानिवृत्त होने के मामले में, कार्यालयाध्यक्ष अथवा जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ कोई अन्य नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिदाता के सेवानिवृत्त होने की तारीख से चार मास के भीतर तथा अन्य मामलों में, अभिदाता की सेवानिवृत्ति या निकासी के पश्चात एक मास के भीतर लेखा अधिकारी को संपूर्ण दस्तावेज़ अग्रेषित करेगा। कार्यालयाध्यक्ष अथवा जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ कोई अन्य नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अभिलेख के लिए उप नियम (1) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज़ और प्रपत्रों की एक प्रति रखेगा।

(3) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकासी और प्रत्याहरण), विनियम, 2015 के अनुसरण में, केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण की ऑनलाइन प्रणाली निकासी के अनुरोध को कार्रवाई करने के पश्चात, लेखा अधिकारी अभिदाता की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक मास पूर्व उप नियम (1) और उप नियम (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण अभिकरण को अग्रेषित करेगा।

(4) यदि अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अधिवर्षिता या निकासी की तारीख से परे अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखने या लाभों के भुगतान को आस्थगित करने का इच्छुक है, तो वह इस संबंध में एक विकल्प का प्रयोग करेगा और उसे लेखा अधिकारी को अधिवर्षिता प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन पूर्व भेज देगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में लेखा अधिकारी द्वारा ऐसे विकल्प पर कार्रवाई की जा सकेगी।

25. प्रतिनियुक्ति पर अभिदाता-(1) अभिदाता के किसी अन्य केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग या कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के दौरान सेवानिवृत्त होने के मामले में, इस नियम के उपबंधों के अनुसरण में हितलाभों को अधिकृत करने की कार्रवाई उस संबंधित मंत्रालय या विभाग या कार्यालय द्वारा की जा सकेगी, जहां सेवा सदस्य ने अंतिम सेवाएं दी हैं।

(2) अभिदाता के किसी राज्य सरकार या विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति के दौरान सेवानिवृत्त होने के मामले में, इस नियम के उपबंधों के अनुसरण में लाभों को अधिकृत करने की कार्रवाई संबंधित मूल संवर्ग द्वारा की जा सकेगी।

26. अर्हक सेवा- (1) जब तक इन नियमों में अन्यथा उपबंधित नहीं किया जाता है, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए सेवा के सदस्य की अर्हक सेवा, सेवा में उसकी मूल नियुक्ति की तारीख से आरंभ होती है:

परंतु परिवीक्षा पर आरंभ में नियुक्त सेवा के सदस्य के मामले में, परिवीक्षा की अवधि को भी अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा।

(2) सेवा में अपनी नियुक्ति से पहले सेवा के किसी सदस्य द्वारा प्रदान की गई केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा की किसी भी अवधि को इन नियमों के अधीन उस सीमा तक अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा, जिस सीमा तक ऐसी सेवा को, सेवा में उसकी नियुक्ति से पहले लागू नियमों के अधीन उपदान के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिना जाता, परंतु यह तब जबकि सेवा अन्यथा निरंतर हो:

परंतु एक ही या किसी अन्य पद में पुष्टि द्वारा किसी रुकावट के बिना की गई अस्थायी या स्थानापन्न सेवा, को अर्हक सेवा के रूप में पूर्ण रूप से गिना जाएगा।

(3) किसी स्वायत्त निकाय के अधीन प्रदान की गई सेवा की अवधि, जो पूर्णतः या सारतः केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में है या उसके द्वारा नियंत्रित है और सेवा के किसी सदस्य द्वारा अधिग्रहित किया गया है, जिसने केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहण से पहले किसी भी समय उस निकाय की सेवा छोड़ दी थी और जो पश्चात में सेवा में व्यवधान सहित अथवा रहित सरकारी सेवा में शामिल हो गया था, इन नियमों के अधीन उस सीमा तक उपदान के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा, जिस सीमा तक और शर्तों के अधीन इस तरह की सेवा को केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के

अधीन उपदान का भुगतान) नियम, 2021 के अधीन या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी भी आदेश के अधीन उपदान के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिना जाता है।

(4) सेवा के किसी सदस्य द्वारा प्रदान की गई विदेश सेवा को अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा, परंतु सेवा के सदस्य के सेवानिवृत्ति लाभों की लागत के लिए अंशदान, ऐसी दरों, जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्धारित कर सकेगी, या विदेशी नियोक्ता द्वारा, या ऐसा न होने पर विदेश सेवा की पूरी अवधि के संबंध में सेवा के सदस्य द्वारा स्वयं भुगतान किया गया हो।

(5) सेवा के किसी सदस्य द्वारा प्राप्त प्राधिकृत कार्यग्रहण अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा।

(6) अर्हक सेवा की गणना छह मासिक अवधि में की जाएगी और तीन मास से कम के अंश को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तथा तीन मास और छह मास के बीच की किसी भी अवधि को कुल अर्हक सेवा की गणना में छह मासिक अवधि के रूप में माना जाएगा।

(7) चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर दिए गए भत्ते और असाधारण छुट्टी के साथ छुट्टी की सभी अवधियों को अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा:

परंतु केन्द्रीय सरकार, किसी भी ऐसे मामले में जिसमें उसका यह समाधान हो कि सेवा के किसी सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य के नियंत्रण से परे किसी कारण के लिए या विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वित्त, अर्थशास्त्र, विधि या अन्य सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्च अध्ययन पर अभियोजन के लिए असाधारण छुट्टी ली गई थी, निदेश दे सकेगी कि ऐसी असाधारण छुट्टी अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाएगी।

(8) अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियम, 1955 के नियम 27 के उप नियम (1) के अधीन, भारत से बाहर विदेश सेवा के दौरान सेवा के किसी सदस्य को विदेशी नियोक्ता द्वारा दी गई छुट्टी को अवकाश के रूप में माना जाएगा और कर्तव्य के रूप में नहीं तथा इस नियम के उप नियम (7) के प्रावधान के अधीन उपदान के लिए अर्हता प्राप्त होगी।

(9) अर्हक सेवा के प्रयोजनों के लिए भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति या छुट्टी की अवधि की गणना,

(क) जहां सेवा के किसी सदस्य को झूटी पर भारत से बाहर प्रतिनियुक्त किया जाता है, वहां ऐसी प्रतिनियुक्ति पर भारत से उसकी अनुपस्थिति की पूरी अवधि, अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाएगी;

(ख) जहां भारत से बाहर छुट्टी पर सेवा का कोई सदस्य नियोजित है, या भारत से बाहर उसकी छुट्टी की समाप्ति के पश्चात झूटी पर रोका गया है, ऐसे नियोजन या झूटी पर रोकने की अवधि को अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा:

परंतु छुट्टी में परिवर्तित प्रतिनियुक्ति की अवधि को, अर्हक सेवा के प्रयोजनों के लिए छुट्टी के रूप में गिना जाएगा, न कि प्रतिनियुक्ति के रूप में;

(ग) सेवा के किसी सदस्य द्वारा भारत की वापसी यात्रा पर बिताया गया समय, जिसे भारत से बाहर किसी भी झूटी स्वीकृत छुट्टी की समाप्ति से पहले झूटी पर वापस बुला लिया जाता है, अर्हक सेवा के रूप में गिना जाता है।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, किसी भी प्रकार की छुट्टी या निलंबन के पश्चात बहाली, कोई सेवा व्यवधान उत्पन्न नहीं करता है।

27. जन्म तिथि की स्वीकृति - (1) सेवा के किसी सदस्य की सेवानिवृत्ति की तारीख के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, ऐसी तारीख की गणना इस नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा स्वीकृत उसकी जन्म तिथि के संदर्भ में की जाएगी,

(2) नियुक्त व्यक्ति के संबंध में, -

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (क) के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में; या

(ख) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (क) के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में; या

(ग) भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 4 के उप नियम (2) के खंड (क) के अधीन भारतीय वन सेवा में,

सेवा में भर्ती के लिए आवेदन में ऐसे व्यक्ति द्वारा यथाघोषित जन्म तिथि को केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति की जन्म तिथि के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिस पर उप नियम (2) लागू नहीं होता है, संबंधित सरकार द्वारा अनुरक्षित सेवा पुस्तिका या अन्य समान आधिकारिक दस्तावेज में अभिलिखित जन्मतिथि को केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति की जन्म तिथि के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार की गई जन्म तिथि किसी भी परिवर्तन के अधीन नहीं होगी, सिवाय इसके कि जहां यह स्थापित हो गया हो कि उप नियम (2) या (3) के अधीन जन्म तिथि को स्वीकार करने में एक वास्तविक लिपिकीय गलती की गई है।

28. सेवानिवृत्ति की तारीख का अधिसूचित किया जाना- जब कोई अभिदाता सेवा से सेवानिवृत्त होता है, तो ऐसी तारीख के एक सप्ताह के भीतर सेवानिवृत्ति की तारीख को विनिर्दिष्ट करते हुए राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाएगी और ऐसी प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, लेखा अधिकारी को तुरंत अग्रेषित की जाएगी।

29. निर्वचन- जहां इन नियमों की निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, इसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

30. शिथिल करने की शक्ति- जहाँ केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग को समाधान हो जाता है कि इन नियमों में से किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में कोई असम्यक कठिनाई होती है, वहां लिखित रूप से अभिलिखित कारणों से आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसे अपवादों और शर्तों के अधीन रहते हुए हटा या शिथिल कर सकेगा, जो वह इस मामले से उचित और न्यायसंगत रीति से निपटने के लिए आवश्यक समझें:

परंतु कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की सहमति के बिना ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

31. अवशिष्ट मामलों के लिए उपबंध हेतु केंद्रीय सरकार की शक्ति- (1) कोई ऐसा बिन्दु, जो विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमों के अधीन नहीं आता है, केंद्रीय सिविल सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958, मूल नियम, 1922, अनुपूरक नियम, 1922 या सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य साधारण या विशेष आदेश में निहित इस संबंध में अंतर्विष्ट सुसंगत उपबंधों के निबंधनों के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे, परंतु, ये इन नियमों के उपबंधों के विरुद्ध या उससे असंगत न हों।

(2) केंद्रीय सरकार किसी ऐसे मामले को विनियमित करने के लिए आदेश या अनुदेश जारी कर सकेगी, जिसके लिए बनाए गए नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है या इन नियमों के अधीन किया गया नहीं समझा गया है और जब तक ऐसे नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक ऐसे मामलों को समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

32. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन उपदान का भुगतान- (1) सेवा के जिन सदस्यों पर ये नियम लागू होते हैं, जहां तक उपदान के भुगतान का संबंध है, वे केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन उपदान का भुगतान) नियम, 2021 द्वारा शासित होंगे।

परंतु, यदि सेवा का कोई सदस्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, तो उपदान का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा; और अन्य मामलों में, मूल संवर्ग द्वारा।

33. निरसन और व्यावृत्ति- (1) इन नियमों के प्रारंभ होने पर, ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त प्रत्येक आदेश, अनुदेश या कार्यालय ज्ञापन, जहां तक वह इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी मामले के लिए उपबंधित है, प्रवर्तन में नहीं रहेगा।

(2) पूर्वोक्त आदेशों, अनुदेशों या कार्यालय ज्ञापन के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तदनुरूपी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

प्ररूप 1

[नियम 10(1) देखें]

सेवा के दौरान सेवा सदस्य/अभिदाता की मृत्यु या अशक्तता या निःशक्तता होने पर कार्यमुक्ति की दशा में हितलाभों का उपयोग करने के लिए विकल्प

* मैं, इस विकल्प का प्रयोग करता हूँ कि सेवा के दौरान निःशक्त होने पर सेवामुक्त होने या अशक्तता होने के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होने या मृत्यु होने की दशा में, यथास्थिति, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त हितलाभ) नियम, 1958 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन हितलाभों का संदाय मुझे या मेरे कुटुंब को किया जाए।

या

* मैं, इस विकल्प का प्रयोग करता हूँ कि सेवा के दौरान निःशक्त होने पर सेवामुक्त होने या अशक्तता होने के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होने या मृत्यु होने की दशा में, अखिल भारतीय सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन) नियम, 2026 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन व्यक्तिगत पेंशन खाते में संचित पेंशन कॉर्पस के आधार पर, हितलाभों का संदाय, यथास्थिति, मुझे या मेरे कुटुंब को किया जाए।

सेवा सदस्य/अभिदाता का हस्ताक्षर

नाम -----

पदनाम-----

कार्यालय जिसमें सेवारत है -----

दूरभाष सं.-----

स्थान और तारीख:

इस विकल्प से पूर्व में मेरे द्वारा दिये गए कोई अन्य विकल्प, अधिकांत हो जाएंगे।

* ऐसे हितलाभों को पूर्णतः काट दें जिनके लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाना है।

(कार्यालयाध्यक्ष अथवा जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी अथवा किसी अन्य अभिहित प्राधिकारी अथवा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा भरा जाए)

अखिल भारतीय सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2026 के अधीन तारीख को श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा दिया गया.....विकल्प प्राप्त किया। पदनाम.....कार्यालय

प्राप्त विकल्प की प्रविष्टि, सेवा पुस्तिका के पृष्ठ सं. भागमें की गयी।

हस्ताक्षर,

कार्यालय अथवा जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी अथवा किसी अन्य अभिहित प्राधिकारी अथवा प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी का नाम, पदनाम तथा मुहर

आवेदन पत्र प्राप्ति की तारीख

प्राप्तकर्ता अधिकारी, उपरोक्त सूचना को भरेगा और सम्यक रूप से पूर्ण प्ररूप की हस्ताक्षरित प्रति सेवा सदस्य को लौटाएगा, जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा जिससे यह, उसकी मृत्यु या निःशक्तता होने की दशा में उसके लाभार्थियों को मिल सके।

प्ररूप 2

[नियम 10(3) देखें]

कुटुंब का ब्यौरा

महत्वपूर्ण

1. सेवा सदस्य या अभिदाता द्वारा प्रस्तुत मूल प्ररूप को प्रतिधारित किया जाए। सेवा सदस्य/सेवानिवृत्त सेवा सदस्य या अभिदाता द्वारा सभी परिवर्धन या परिवर्तन समर्थक दस्तावेजों सहित संसूचित किए जाएँ और स्तम्भ (7) में कार्यालयाध्यक्ष अथवा जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ किसी अन्य अभिहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर से किए गए परिवर्तनों को इस प्ररूप में अभिलिखित किया जाए, मूल प्ररूप के स्थान पर नया प्ररूप न भरा जाए। तथापि, सेवानिवृत्त होने वाला अभिदाता सेवानिवृत्ति के समय कुटुंब का ब्यौरा नए सिरे से प्रस्तुत करेगा।
2. पति या पत्नी, सभी संतान और माता-पिता (चाहे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या नहीं) तथा निःशक्त सहोदरों (भाइयों और बहनों) के ब्यौरे दिये जा सकेंगे।
3. कार्यालयाध्यक्ष अथवा जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी अथवा इस प्रयोजनार्थ कोई अन्य अभिहित प्राधिकारी "टिप्पणियाँ" स्तम्भ में कुटुंब में परिवर्धन या परिवर्तन संबंधी संसूचना की प्राप्ति की तारीख उपदर्शित करेगा। निःशक्तता या कुटुंब के सदस्य की वैवाहिक प्रास्थिति में परिवर्तन के बारे में तथ्य को भी "टिप्पणियाँ" स्तम्भ में उपदर्शित किया जाए।
4. पति और पत्नी में न्यायिक रूप से पृथक पति और पत्नी सम्मिलित होंगे।
5. सेवानिवृत्त सेवा सदस्य, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के तारीख 4 नवम्बर, 1992 के कार्यालय ज्ञापन सं1(23)-पी&पीडबल्यू/91-ई के अधीन विहित प्रारूप में सेवानिवृत्ति के पश्चात कुटुंब संरचना में परिवर्तन के ब्यौरे संलग्न करेगा।
6. जन्म प्रमाण-पत्र की प्रतियाँ संलग्न की जाएँ। कोई अन्य सुसंगत प्रमाण-पत्र, उपलब्ध हों, तो उनकी प्रतियाँ भी संलग्न की जाएँ।

सेवा सदस्य अथवा अभिदाता का नाम		पदनाम, सेवा और संवर्ग		राष्ट्रीयता	
-----------------------------------	--	--------------------------	--	-------------	--

कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे:

क्रम सं	नाम (कृपया भरने से पूर्व नीचे दी गई टिप्पणियों को देखें)	जन्मतिथि दिन/मास/वर्ष	आधार सं. (वैकल्पिक)	सेवा सदस्य अथवा सेवानिवृत्त सेवा सदस्य अथवा अभिदाता के साथ संबंध	वैवाहिक प्रास्थिति	टिप्पणियाँ	कार्यालय अध्यक्ष अथवा इस प्रयोजनार्थ नामित प्राधिकारी के हस्ताक्षर और तारीख
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

मैं, कार्यालय अध्यक्ष को कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन सूचित करके उपर्युक्त ब्यौरे को अद्यतन रखने का वचन देता हूँ।

ई-मेल:(वैकल्पिक).....

स्थान

मोबाइल:.....

तारीख.....

(हस्ताक्षर)

* आधार सं. देना वैकल्पिक है। तथापि, यदि यह उपबंध किया जाता है, तो इसे केवल पेंशन से संबंधित प्रयोजन के लिए बैंक खाते से जोड़ने और यूआईडीएआई से पहचान के प्रमाणीकरण के लिए सहमति दी गई, समझा जाएगा।

प्ररूप 03

[नियम (16)7 देखें]

चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्ररूप

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/(हमने).....(सेवा सदस्य या अभिदाता का नाम) पुत्र श्री
..... की सावधानीपूर्वक जांच की है, जो किमें.....(पदनाम, सेवा तथा
संवर्ग) पद पर कार्यरत हैं।

मेरे/(हमारे) मतानुसार श्री विभाग, जिससे वह संबंधित है, में.....
(यहाँ पर रोग या कारण का उल्लेख करें) के परिणामस्वरूप आगे किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए पूर्णतः और
स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं।

(यदि असमर्थता पूर्णतः और स्थायी प्रतीत नहीं होती है तो प्रमाणपत्र में तदनुसार उपांतरण किया जाए और निम्नलिखित
वाक्य जोड़ दिया जाए।)

“मेरे/हमारे मतानुसार श्री इससे पूर्व किए जा रहे कार्य से कम परिश्रमी कार्य की भावी सेवा के
लिए उपयुक्त है/वे.....मास के विश्राम के पश्चात्, इससे पूर्व किए जा रहे कार्य से कम परिश्रमी
कार्य की भावी सेवा के लिए उपयुक्त हो जाएँगे।”

स्थान

तारीख

चिकित्सा बोर्ड

प्ररूप 4-क

[नियम 24 देखें]

[अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समयपूर्व सेवानिवृत्ति होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्ररूप]

सं

भारत सरकार

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

तारीख.....

सेवा में,

लेखा अधिकारी/महालेखाकार

(जिला कोषाधिकारी/कोषाधिकारी या इस प्रयोजन के लिए नामित अन्य प्राधिकारी के माध्यम से)

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी.....(पीआरएएन.....) के मामले में अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समयपूर्व सेवानिवृत्ति होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दावे का प्रक्रमण।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :

* [आईएएस/ आईपीएस/आईएफएस] सेवा के.....संवर्ग के/की श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पदनाम) पीआरएएन तारीख..... को अधिवर्षिता प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो रहे/रहीं हैं।

या

* [आईएएस/ आईपीएस/आईएफएस] सेवा के.....संवर्ग के/की श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पदनाम) पीआरएएनकी अखिल भारतीय सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2026 के नियम 12 के अधीन तारीख..... से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सूचना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। इस संबंध में जारी किए गए आदेश की प्रति संलग्न है।

या

* [आईएस/ आईपीएस/आईएफएस] सेवा के..... संवर्ग के/की श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पदनाम) पीआरएन.....की अखिल भारतीय सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2026 के नियम 13 के अधीन तारीखसे सेवानिवृत्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में जारी किए गए आदेश की प्रति संलग्न है।

2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विहित, निम्नलिखित दस्तावेज (वास्तविक रूप से या ऑनलाइन जमा किए गए प्ररूपों के प्रिंट आउट) संलग्न हैं:

1.

2.

3.

4.

3. नियम 11/नियम 12/नियम 13 के अनुसरण में, सेवा से सेवानिवृत्त होने पर, श्री/श्रीमती/कुमारी....., पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत विकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाले अभिदाताओं के लिए यथा अनुमत्य हितलाभों हेतु पात्र है। यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन, सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए सेवा सदस्य या अभिदाता के मामले पर तदनुसार कार्रवाई की जाए।

भवदीय,

कार्यालय प्रमुख या जिला कोषाधिकारी या
कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ
नामित अन्य प्राधिकारी

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप 4-ख

[नियम 24 देखें]

[किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्ररूप]

सं

भारत सरकार

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

तारीख.....

सेवा में,

लेखा अधिकारी/महालेखाकार

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी.....(पीआरएएन.....) के मामले में किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन होने पर या तकनीकी आधार पर त्यागपत्र देने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दावे का प्रक्रमण।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पदनाम), पीआरएएन..... को किसी स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलित होने पर या तकनीकी आधार पर त्यागपत्र देने पर तारीख..... से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए मान लिया गया है। इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय से उनके कार्यमुक्त होने के आदेश की प्रति संलग्न है।

2 * चूंकि नए संगठन में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की स्कीम लागू है, अतः अभिदाता नए संगठन में उसी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अभिदान करना जारी रखेगा। उसे ऐसे आमेलन के समय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन कोई हितलाभ नहीं मिलेगा, परंतु नए निकाय या संगठन आदि जहां पर अभिदाता को आमेलित किया गया है, से निकासी के पश्चात उसे हितलाभ प्राप्त होंगे।

या

* चूंकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्कीम नए संगठन में लागू नहीं है, अतः अखिल भारतीय सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन) नियम, 2026 के नियम 15 के अनुसरण में वह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन, अभिदाता के अधिवर्षिता पर निर्गम होने के मामले में यथाअनुमत्य हितलाभों को प्राप्त करने हेतु पात्र होगा। राष्ट्रीय पेंशन

प्रणाली के अधीन सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विहित, निम्नलिखित दस्तावेज (वास्तविक रूप से या ऑनलाइन जमा किए गए प्ररूपों के प्रिंटआउट) संलग्न हैं:

1.

2.

3.

4.

3. यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खाते को..... में अंतरित करने या पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत विकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के अधिवर्षिता पर निर्गम होने के मामले में यथाअनुमत्य सेवांत हितलाभों को निर्मुक्त करने के लिए अभिदाता के मामले पर कार्रवाई की जाए।

भवदीय,

कार्यालय प्रमुख या जिला कोषाधिकारी या
कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ
नामित अन्य प्राधिकारी

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप 4-ग

[नियम 24 देखें]

[त्यागपत्र देने या शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सेवा से हटाये जाने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्ररूप]

सं

भारत सरकार

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

तारीख.....

सेवा में,

लेखा अधिकारी/महालेखाकार

(जिला कोषाधिकारी अथवा कोषाधिकारी या इस प्रयोजन के लिए नामित अन्य प्राधिकारी के माध्यम से)

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी.....(पीआरएएन.....) के त्यागपत्र देने या शास्ति स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युति या सेवा से हटाये जाने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दावे का प्रक्रमण।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि

* श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पदनाम), [आईएएस/ आईपीएस/आईएफएस] सेवा, (संवर्ग.....) पीआरएएन..... पर तारीखके आदेश सं. (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अधिरोपित की गई है। तदनुसार, श्री/श्रीमती/कुमारी..... को तारीख..... से सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाता है।

या

* श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पदनाम) [आईएएस/आईपीएस/आईएफएस] (संवर्ग.....), पीआरएएन..... पर तारीख.....के आदेश सं.....(प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा पदच्युति या सेवा से हटाये जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है। तदनुसार, श्री/श्रीमती/कुमारी..... को तारीख..... से सरकारी सेवा से पदच्युत/सेवा से हटाया जाता है।

या

* श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पदनाम) [आईएस/आईपीएस/आईएफएस] (संवर्ग.....), पीआरएएन.....ने तारीखको सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया है। त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने के संबंध में तारीख..... के आदेश सं..... की प्रति संलग्न है।

2. अखिल भारतीय सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2026 के नियम 18 या नियम 14 के संदर्भ में, अभिदाता, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत विकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के अधिवर्षिता पूर्व निर्गम होने के मामले में यथाअनुमत्य हितलाभों हेतु पात्र है।

3. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दावा संबंधी दस्तावेज (वास्तविक रूप से या ऑनलाइन जमा किए गए प्ररूप के प्रिंटआउट) संलग्न हैं:

1.

2.

3.

4.

4. यह अनुरोध किया जाता है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत विकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के अधिवर्षिता पूर्व निर्गम होने के मामले में यथाअनुमत्य सेवांत हितलाभों को जारी करने के लिए अभिदाता के मामले पर कार्रवाई की जाए।

भवदीय,

कार्यालय प्रमुख या जिला कोषाधिकारी या
कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ नामित अन्य प्राधिकारी

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप 4-घ

[नियम 24 देखें]

अशक्तता या निःशक्तता पर सेवानिवृत्ति होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों को लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्ररूप

सं.

भारत सरकार

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

तारीख

सेवा में,

लेखा अधिकारी/महालेखाकार

(जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ नामित अन्य प्राधिकारी के माध्यम से)

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी (पीआरएएन.....) के अशक्त या दिव्यांग होने पर सेवानिवृत्ति होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दावे का प्रक्रमण।

महोदय/महोदया,

* मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (नाम और पदनाम) [आईएस/आईपीएस/आईएफएस] (संवर्ग.....), पीआरएएन..... अशक्तता (सरकारी सेवा के कारण नहीं) अथवा दिव्यांगता (सरकारी सेवा के कारण) होने पर तारीख को सेवानिवृत्त हो गए हैं। श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा चयन किए गए विकल्प, जो कि अखिल भारतीय सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2026 के नियम 10 के अधीन डिफॉल्ट विकल्प है, के अनुसार अभिदाता अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन हितलाभों के लिए पात्र है। सेवा सदस्य द्वारा चयन किए गए विकल्प की एक प्रति प्ररूप -1 में संलग्न है। अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अनुसार लाभों के संवितरण के लिए आगे की कार्रवाई तदनुसार की जा रही है। अखिल भारतीय सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2026 के नियम 16 या नियम 17 के अनुसरण में, अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकारी योगदान और उस पर प्रतिलाभ सरकारी खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का भुगतान अभिदाता को एकमुश्त में संदेय होगा।

या

* मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पदनाम) [आईएस/आईपीएस/आईएफएस]

(संवर्ग.....), पीआरएन..... दिव्यांगता/अशक्तता (सरकारी सेवा के कारण नहीं) या दिव्यांगता (सरकारी सेवा के कारण) पर तारीख को सेवानिवृत्त हो गए हैं। श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा चयन किए गए विकल्प जो कि अखिल भारतीय सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2026 के नियम 10 के अधीन डिफॉल्ट विकल्प है, के अनुसार और अखिल भारतीय सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम 2026 के नियम 16 या नियम 17 के अनुसरण में, अभिदाता पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन विकास और प्राहरण) विनियमन, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन, अधिवर्षिता पर अभिदाता के विकास के मामले में यथास्वीकार्य हितलाभों के लिए पात्र है। श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा चयन किए गए विकल्प की एक प्रति प्ररूप -1 में संलग्न है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवान्त हितलाभों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दस्तावेज (व्यक्तिगत रूप में या ऑनलाइन जमा किए गए प्ररूप का प्रिंट-आउट), श्री/श्रीमती/कुमारी..... [आईएस/आईपीएस/आईएफएस] (संवर्ग.....) द्वारा प्रस्तुत यथाप्रस्तुत संलग्न हैं:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

2. यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवान्त हितलाभों को जारी करने के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी..... [आईएस/आईपीएस/आईएफएस] (संवर्ग.....) के मामले पर उनके द्वारा चयन किए गए विकल्प और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत विकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

भवदीय,

कार्यालय प्रमुख या जिला कोषाधिकारी
या कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ नामित अन्य प्राधिकारी

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप 4 – ड

[नियम 24 देखें]

सेवा में मृत्यु होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन अभिदाता के आहरण दस्तावेजों लेखा अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए पत्र का प्ररूप

सं.

भारत सरकार

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

तारीख

सेवा में,

लेखा अधिकारी/महालेखाकार

(जिला कोषाधिकारी या कोषाधिकारी या नामित अन्य प्राधिकारी के माध्यम से)

विषय: श्री/श्रीमती/कुमारी..... (पीआरएएन.....) के मामले - सेवा में मृत्यु होने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए दावे का प्रक्रमण।

महोदय/महोदया,

* मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पदनाम) [आईएएस/आईपीएस/आईएफएस] (संवर्ग.....), पीआरएएन..... की तारीख को मृत्यु हो गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी..... [आईएएस/आईपीएस/आईएफएस] (संवर्ग.....) की मृत्यु सरकारी सेवा के कारण नहीं हुई है या सरकारी सेवा के कारण हुई है। श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा चयन किए गए विकल्प, जो कि अखिल भारतीय सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2026 के नियम 10 के अधीन डिफॉल्ट विकल्प है, के अनुसार उनका कुटुंब अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अधीन हितलाभों के लिए पात्र है। अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के अनुसरण में उनके कुटुंब को हितलाभों के संवितरण हेतु आगे की कार्रवाई तदनुसार की जा रही है। अखिल भारतीय सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2026 के नियम 20 के अनुसरण में, अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकारी अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किए जाएंगे। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का भुगतान पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अधीन नामनिर्देशित व्यक्ति (यों) को एकमुश्त में संदेय होगा। यदि ऐसा नामनिर्देशन नहीं किया है या किया गया नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, तो शेष संचित पेंशन कॉर्पस की रकम

विधिक उत्तराधिकारी (ओं) को संदेय होगी। सेवा सदस्य/अभिदाता द्वारा चयन किए गए विकल्प की एक प्रति प्ररूप -1 में संलग्न है।

या

* मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पदनाम) [आईएएस/आईपीएस/आईएफएस] (संवर्ग.....), पीआरएएन..... की मृत्यु तारीख..... को हो गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी..... द्वारा चयन किए गए विकल्प, जो कि अखिल भारतीय सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2026 के नियम 10 के अधीन और के नियम 20 के अनुसार डिफॉल्ट विकल्प है, के अनुसार उनका कुटुंब पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत विकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसरण में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन हितलाभों के लिए पात्र है। अभिदाता द्वारा चयन किए गए विकल्प की एक प्रति प्ररूप-1 संलग्न है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन सेवान्त हितलाभों को जारी करने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विहित निम्नलिखित दस्तावेज (व्यक्तिगत रूप में या ऑनलाइन जमा किए गए प्ररूप का प्रिंट-आउट), कुटुंब के पात्र सदस्य द्वारा यथाप्रस्तुत संलग्न हैं:

1.

2.

3.

4.

2. यह अनुरोध किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सेवान्त हितलाभों को जारी करने के लिए अभिदाता के मामले पर उसके द्वारा चयन किए गए विकल्प तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत विकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

भवदीय,

कार्यालय प्रमुख या जिला कोषाधिकारी या
कोषाधिकारी या इस प्रयोजनार्थ नामित अन्य प्राधिकारी

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

[फा. सं. 25014/02/2022-अ.भा.से-II(पेंशन)]

पी. बाला किरण, संयुक्त सचिव (अखिल भारतीय सेवा)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2026

G.S.R. 307(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Government of the States concerned, hereby makes the following rules regulating the method of implementation of the National Pension System, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the All India Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the members of All India Services appointed to the service on or after the 1st day of January, 2004:

Provided that these rules shall not apply to the members of service to whom All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 apply in accordance with any special or general order passed by the Central Government.

3. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “Accounts Officer” means an officer or any other designated authority who is entrusted with the responsibility of registration and generation of Permanent Retirement Account Number (PRAN) to the new subscriber under National Pension System, or an officer who maintains the accounts of a Ministry, Department or office of the Central Government or State Government or Union territory and includes an Accountant General, who is entrusted with the functions of maintaining the accounts or part of accounts of the Central Government or State Government or Union territory;
- (b) “Accredited Bank” in relation to a Ministry or Department or Union territory or State Government means the Reserve Bank of India constituted under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or any bank which is appointed to transact business of the Government pertaining to that Ministry or Department or Union territory or State Government and is officially recognised for transfer of funds to the Trustee Bank;
- (c) “Accumulated Pension Corpus” means the monetary value of the pension investments accumulated in the Individual Pension Account of a subscriber under the National Pension System;
- (d) “Annuity” means periodic payment by the Annuity Service Provider to the subscriber on purchase of annuity plan out of the Accumulated Pension Corpus;
- (e) “Annuity Service Provider” means a life insurance company registered and regulated by the Insurance Regulatory and Development Authority and empanelled by the Authority for providing Annuity services to the subscribers of the National Pension System;
- (f) “Authority” means the Pension Fund Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) and includes interim Pension Fund Regulatory and Development Authority set up by the Central Government through Resolutions;
- (g) “Central Recordkeeping Agency” means an agency registered under section 27 of Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 to perform the functions of recordkeeping, accounting, administration and customer service for subscribers to schemes;
- (h) “Emoluments” means emoluments as specified in rule 5;
- (i) “Foreign Service” means service in which a member of service receives his pay with the sanction of the Government from any source other than the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a State or the Consolidated Fund of a Union territory;
- (j) “Government” means
 - (i) in the case of a member of service serving in connection with the affairs of a State, or who is deputed for service in any company, association or body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government of a State, or in a local authority set up by an Act of the State, the Government of that State;

- (ii) in any other case, the Central Government;
- (k) “Individual Pension Account” means an account of a subscriber, executed by a contract setting out the terms and conditions under the National Pension System;
- (l) “Local Fund administered by Government” means the fund administered by a body which, by law or rule having the force of law, comes under the control of the Government and over whose expenditure the Government retains complete and direct control;
- (m) “National Pension System” means the contributory pension system referred to in section 20 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 whereby contributions from a subscriber are collected and accumulated in an Individual Pension Account using a system of points of presence, a Central Recordkeeping Agency and pension funds as may be specified by regulations by Pension Fund Regulatory and Development Authority;
- (n) “Pension fund” means an intermediary which has been granted a certificate of registration under sub-section (3) of section 27 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 by the Authority as a pension fund for receiving contributions, accumulating them and making payments to the subscriber in the manner as may be specified by regulations;
- (o) “Permanent Retirement Account Number” means a unique identification number allotted to each subscriber by the Central Recordkeeping Agency;
- (p) “Subscriber” means a member of service who subscribes to a scheme of a Pension fund;
- (q) “Trustee Bank” means a banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the All India Services Act, 1951, Fundamental Rules, 1922, the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021, the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 or the regulations made under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 have the same meanings respectively assigned to them in those Acts or rules or regulations.

4. Registration into National Pension System. - (1) A member of service to whom these rules apply, shall, immediately on joining service submit an application in Common Subscriber Registration Form or in any other form specified by the Authority along with an option form referred to in rule 10, to the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose of registration to the National Pension System.

(2) The Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose shall on receipt of the application under sub-rule (1), ensure that the application is complete in all respects, countersign it indicating the date of receipt and send it to the Accounts Officer or designated authority for the purpose within three working days of joining of the member of service and the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose shall keep a copy of the application form for record.

(3) The Accounts Officer or designated authority shall forward the application of individual subscriber to the Pay and Accounts Officer or State Nodal Officer, as the case may be, within three working days from the date of receipt of the application from the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose of registration.

(4) The Pay and Accounts Officer or State Nodal Officer, as the case may be, shall process the application received from the Accounts Officer or designated authority for the purpose and forward it to the Central Recordkeeping Agency through the online system within three working days from the date of receipt of the application from the Accounts Officer or designated authority and the Pay and Accounts Officer or the State Nodal Officer shall also forward duly signed copy of the application to the Central Recordkeeping Agency for record.

(5) The Central Recordkeeping Agency shall complete registration process and allocate a Permanent Retirement Account Number in respect of each member of service in the form specified by the Authority as per the turn-around time specified by the Authority and after completion of the registration process, the Central Recordkeeping Agency shall communicate the Permanent Retirement Account Number to the Pay and Accounts Officer or the State Nodal Officer, as the case may be, and also forward Permanent Retirement Account Number kits to the Subscriber in accordance with the process and turn-around time laid down by the Authority.

(6) The Pay and Accounts Officer or the State Nodal Officer, as the case may be, shall communicate Permanent Retirement Account Number (PRAN) to the concerned Accounts Officer or designated authority immediately.

(7) The Accounts Officer or designated authority for the purpose shall communicate the Permanent Retirement Account Number to the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority immediately.

(8) The Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose shall intimate the Permanent Retirement Account Number to the Subscriber and shall record the Permanent Retirement Account Number (PRAN) in the Common Subscriber Registration Form or any other form specified by the Authority submitted by the Subscriber and in the service book of the Subscriber and also paste a certified copy of the Common Subscriber Registration Form or any other form specified by the Authority in the service book of the Subscriber within five working days thereafter.

(9) The authorities referred to in sub-rule (2) to sub-rule (8) shall ensure that there is no delay in the process of registration of the member of service in the National Pension System and crediting of first contribution in his Individual Pension Account and the first contribution of the member of service shall be credited in his Individual Pension Account within twenty days of the date of submission of the application under sub-rule (1) or by the last date of the month in which the member of service joined, whichever is later.

(10) In a case where the process of registration of the member of service in the National Pension System has not been completed before the date of drawal of the salary for the first month or any subsequent month, such salary or salaries shall be paid to the member of service after withholding the amount of contribution as determined in accordance with rule 6.

(11) The amount of the contribution withheld from the salary as well as the amount of interest payable under rule 8 shall be credited to the Individual Pension Account of the member of service as soon as the process of generation of Permanent Retirement Account Number of the member of service in the National Pension System is completed by the Central Recordkeeping Agency and communicated to the Pay and Accounts Officer or the State Nodal Officer.

(12) Action on the option form submitted under sub-rule (1) shall be taken in accordance with rule 10.

5. Emoluments. - (1) The expression “emoluments” for the purpose of determining the amount of mandatory contribution under the National Pension System includes basic pay as defined in respective pay rules for the members of All India Services and admissible dearness allowance in a calendar month.

(2) Subject to the proviso to sub-rule (1) of rule 7, if a Subscriber had been absent from duty on leave for which leave salary is payable, the amount representing pay and dearness allowance in the leave salary actually drawn shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule.

(3) Subject to the proviso to sub-rule (1) of rule 7, if a Subscriber had been absent from duty or was on extraordinary leave, during whole or part of a calendar month, the pay or the amount representing pay, and dearness allowance in the leave salary which he actually drew for the part of that calendar month during which he was on duty or was on leave for which leave salary is payable, shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule.

(4) If a Subscriber had been under suspension, the subsistence allowance drawn during the period of suspension in a calendar month shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule.

(5) Pay drawn by a Subscriber while on deputation in India shall be taken into account for emoluments for the purpose of this rule.

(6) In the case of a Subscriber on foreign service or deputation outside India, the pay which he would have drawn under the Government had he not been on foreign service or such deputation, shall be taken into account for emoluments.

(7) Where a retired Subscriber, who is re-employed in Government service and to whom these rules are applicable and whose pay on re-employment has been reduced by an amount not exceeding his monthly pension, the element of monthly pension by which his pay is reduced shall be included in emoluments.

6. Contribution by the Subscriber to the National Pension System. - (1) The National Pension System shall work on defined contribution basis and a Subscriber shall make a contribution of ten per cent. or such other percentage as may be notified by the Central Government from time to time, of his emoluments to the National Pension System every month and the amount of contribution payable shall be rounded off to the next higher rupee.

(2) Contribution may be made by the Subscriber, at his option, during the period of suspension:

Provided that where, in the final orders passed by the Government on conclusion of the inquiry, the period spent under suspension is treated as duty or leave for which leave salary is payable, contributions to the National Pension System shall be determined based on the emoluments which the Subscriber becomes entitled to for the period of suspension and the difference of the amount of contribution to be deposited and the amount of contribution already deposited during the period of suspension, shall be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber along with interest and the rate of interest for this purpose would be the rate of interest as decided by the Central Government from time to time for the Public Provident Fund deposits.

(3) No contribution shall be made by the Subscriber during the period of absence from duty (whether on leave or otherwise) for which no pay or leave salary is payable.

(4) During the period of transfer on deputation to a Department or organisation under the Central Government or the State Government, the Subscriber shall remain subject to these rules in the same manner, as if he was not so transferred or sent on deputation and will continue to contribute towards National Pension System based on emoluments worked out in accordance with sub-rule (5) of rule 5.

(5) The contributions in respect of any arrears of salary received by the Subscriber due to retrospective increase shall be treated as the contributions for the month in which the payments are made.

(6) The Subscriber shall contribute toward National Pension System during the period spent under probation.

(7) The deduction and crediting of contributions to the Individual Pension Account during foreign service in India or outside India, including deputation to United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies, the International Monetary Fund, the International Bank of Reconstruction and Development, or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other international organisation, shall be regulated in accordance with the instructions issued by the Department of Personnel and Training from time to time and the procedure laid down by the Authority.

(8) The Accounts Officer or designated authority for this purpose shall deduct the contribution from the salary of the member of service and send the bill to the Pay and Accounts Officer or State Nodal Officer, as the case may be, along with details of contributions deducted in respect of each Subscriber on or before the twentieth day of each month.

(9) A Subscriber may, at his option, make contribution in excess of the contribution specified in sub-rule (1) in accordance with the procedure laid down by the Authority and the Central Government.

(10)(a) The Pay and Accounts Officer or the State Nodal Officer, as the case may be, based on the details of contributions in respect of each Subscriber sent by the Accounts Officer or designated authority for the purpose to Pay and Accounts Officer or State Nodal Officer under sub-rule (8), shall prepare and upload a Subscription Contribution File and generate a Transaction ID by the twenty-fifth day of each month.

(b) The Pay and Accounts Officer or the State Nodal Officer, as the case may be, shall remit the contribution to the Trustee Bank through the Accredited Bank by the last working day of each month:

Provided that the contribution for the month of March shall be remitted by the Pay and Accounts Officer or the State Nodal Officer to the Trustee Bank through the Accredited Bank on the first working day of the month of April.

(c) In case of delay in crediting of contribution to the Individual Pension Account of the Subscriber beyond the prescribed timeline due to factors not attributable to the Subscriber, the amount shall be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber along with interest for the delayed period, as determined in accordance with rule 8.

7. Contribution by the Government. - (1) The Government shall make contribution of fourteen per cent. or such other percentage as may be notified from time to time, of the emoluments of a member of service to the Individual Pension Account of the Subscriber every month and the amount of contribution payable shall be rounded off to the next higher rupee:

Provided that in cases where leave is granted to the Subscriber on medical ground or due to his inability to join or rejoin duty on account of civil commotion; or for pursuing higher studies considered useful in discharge of his official duty, and during such leave, leave salary is not payable or is payable at a rate which is less than full pay, the Government shall make contribution equal to fourteen per cent or such other percentage as may be notified from time to time, of the notional emoluments comprising the amount representing pay and dearness allowance in the leave salary, referred to in rule 5.

(2) Subject to the proviso to sub-rule (1), no contribution shall be made by the Government for the period during which the Subscriber is not required to make contribution in accordance with these rules.

(3) In the case of a Subscriber under suspension, contribution shall be made by the Government on the basis of the emoluments determined by taking into account the subsistence allowance paid to the Subscriber during the period of such suspension:

Provided that no contribution shall be made by the Government during the period of suspension where the Subscriber had opted not to pay his contribution during the said period of suspension:

Provided further that where, in the final orders passed by the Government on conclusion of the inquiry, the period spent under suspension is treated as duty or leave for which leave salary is payable, contributions by the Government to the National Pension System shall be determined based on the emoluments which the Subscriber becomes entitled to for the period of suspension and the difference of the amount of contribution to be deposited by the Government and the amount of contribution already deposited during the period of suspension, shall be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber along with interest and the rate of interest for this purpose shall be the rate of interest as decided by the Central Government from time to time for the Public Provident Fund deposits.

(4) Contribution by the Government to the Individual Pension Account during foreign service in India or outside India, including deputation to United Nations' Secretariat or other United Nations' Bodies, the International Monetary Fund, the International Bank of Reconstruction and Development, or the Asian Development Bank or the Commonwealth Secretariat or any other international organisation, shall be regulated in accordance with the orders issued by Department of Personnel and Training from time to time and the procedure laid down by the Authority.

(5) The provisions regarding time line as applicable in the case of remittance of contribution by the Subscriber would also be applicable for remittance of contribution by the Government and in case there is a delay in crediting of contribution to the Individual Pension Account of the Subscriber beyond the prescribed timeline due to factors not attributable to the Subscriber, the amount shall be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber along with interest for the delayed period, as determined in accordance with rule 8.

8. Interest on delayed deposit of contributions. - (1) In case of delay, due to factors not attributable to the Subscriber, in, -

- (a) commencement of monthly contributions on account of delay in registration of the Subscriber in the National Pension System beyond the time limits specified in rule 4; or
- (b) deduction of monthly contribution from the salary of the Subscriber or crediting to his Individual Pension Account beyond the time limit specified in rule 6; or
- (c) crediting of the monthly contributions by the Government to the Individual Pension Account of the Subscriber beyond the time limit specified in rule 7,

the amount of contribution may be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber along with interest for the delayed period and the interest shall be credited to the Individual Pension Account of the Subscriber within a period of thirty days of the crediting of the amount of contribution and the rate of interest for this purpose shall be the rate of interest, as decided by the Central Government from time to time, for the Public Provident Fund deposits:

Provided that the rate of interest applicable for the period from 1st January, 2004 to 31st December, 2012 shall be as notified by Department of Financial Services in its Notification No. 1/3/2016-PR dated 31st January, 2019 and by Department of Expenditure in its Office Memorandum No. 1(21)/EV/2018 dated 12th April, 2019.

(2)(a) Every case of delay in registration of the Subscriber in the National Pension System or commencement of contributions under rule 4 or deduction and crediting of monthly contribution of the Subscriber under rule 6 or crediting of monthly contribution by the Government in the Individual Pension Account of the Subscriber under rule 7 shall be examined by the Head of Department or Chief Controller of Accounts or Accountant General or the competent authority as specified for fixation of responsibility.

(b) If the Head of Department or Chief Controller of Accounts or Accountant General or the competent authority as specified is satisfied that the delay is caused on account of administrative lapse, the delinquent official or officials shall be liable to pay the amount of pecuniary loss to the Government on account of payment of interest.

(c) The responsibility and the amount of liability on the part of the delinquent official or officials shall be determined in the same manner as in the case of delayed deduction or remittance of Tax Deduction at Source

under Section 398(3) of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025) and this shall be without prejudice to any disciplinary action which the disciplinary authority may propose to take against the official or officials responsible for the administrative lapse in this respect.

9. Investment of the Accumulated Pension Corpus. - The Accumulated Pension Corpus in respect of a Subscriber shall be invested by such pension fund or funds and in such manner as may be notified by the Authority.

10. Option to avail benefits on death or invalidation or disability of Subscriber during service. - (1) Every member of service covered under the National Pension System shall, at the time of joining service, exercise an option in Form 1 for availing benefits under the National Pension System or under the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 or the Central Civil Service (Extraordinary Pension) Rules, 2023 in the event of his death or boarding out on account of disablement or retirement on invalidation and the members of service, who are already in Government service and are covered by the National Pension System, shall also exercise such option as soon as possible after the commencement of these rules.

(2) The option shall be exercised to the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose who will accept the same after verifying all the facts submitted therein and place it in the service book and a copy of the option shall be forwarded by the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose to the Central Recordkeeping Agency through the Accounts Officer or designated authority for the purpose and the Pay and Accounts Officer or State Nodal Officer for their record, and such officer shall also make suitable entry in the online system indicating the details regarding the option exercised by the member of service.

(3) (a)(i) Every member of service shall, along with the option in Form 1, also submit details of family in Form 2 to the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority;

(ii) if the member of service has no family, he shall furnish the details in Form 2 as soon as he acquires a family.

(b) The member of service shall communicate to the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose any subsequent change in the size of his family, including the fact of marriage of his child.

(c) (i) As and when a disability referred to in rule 22 of the All India services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 manifests itself in a child which makes him unable to earn his living, the fact shall be brought to the notice of the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose duly supported by a Medical Certificate from a Medical Officer, not below the rank of a Civil Surgeon and this may be indicated in Form 2 by the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose;

(ii) as and when the claim for family pension arises, the legal guardian of the child may make an application supported by a fresh medical certificate from a Medical Officer, not below the rank of Civil Surgeon, that the child still suffers from the disability.

(d)(i) The Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose shall, on receipt of the Form 2, acknowledge its receipt and all further communications received from the member of service in this behalf, countersign it indicating the date of receipt and get it pasted on the service book of the member of service concerned;

(ii) the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose on receipt of communication from the member of service regarding any change in the size of family shall incorporate such a change in Form 2.

(4)(i) The option exercised under sub-rule (1), may be revised any number of times by the Subscriber before his retirement by making a fresh option intimating his revised option to the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose and on receipt of the revised option, the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose and the Pay and Accounts Officer shall take further action as mentioned in sub-rule (2);

(ii) a Subscriber who is discharged on invalidation or disability shall be given an opportunity to submit a fresh option at the time of such discharge;

(iii) where such Subscriber does not exercise a fresh option or is not in a position to exercise fresh option at the time of discharge, the option already exercised by the Subscriber shall become operative;

(iv) where no option was exercised by the Subscriber and the Subscriber is not in a position to exercise an option at the time of discharge, his case will be regulated in accordance with sub-rule (6).

(5) In the case of death of a Subscriber while in service, the last option exercised by the deceased Subscriber before his death shall be treated as final and the family shall have no right to revise the option.

(6)(i) Where a Subscriber who did not exercise an option under sub-rule (1) dies before completion of service of fifteen years or within three years of the notification of these rules, his family will be granted family pension in accordance with the provisions of the All India services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023 as the case may be, as a default option;

(ii) where a Subscriber is discharged from Government service on invalidation or disability before completion of service of fifteen years or within three years of the notification of these rules without exercising an option under sub-rule (1), and is also not in a position to exercise an option at the time of discharge, he shall be granted invalid pension or disability pension in accordance with the provisions of the All India services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023 as the case may be, as default option;

(iii) in all other cases, where no option was exercised by the Subscriber, the claim of the Subscriber on discharge from the service and that of the family on death of the Subscriber, shall be regulated in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015, as default option.

(7) In cases where the option exercised by the deceased Subscriber in accordance with sub-rule (1) or the default option in accordance with sub-rule (6) for benefit under the All India services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023 becomes infructuous on account of non-availability of an eligible member of the family for grant of family pension under the All India services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023, such option would be deemed to have become invalid and the benefits admissible under the National Pension System shall be granted to the legal heir of the member of service in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

11. Retirement on superannuation or extension of service. - (1) A Subscriber, who is retired on his attaining the age of superannuation or, if the service of the Subscriber has been extended beyond superannuation, on expiry of such period of extension of service beyond the age of superannuation, shall be entitled to benefits as admissible under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 to the Subscriber retiring on superannuation.

(2) A member of service shall retire from the service with effect from the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years:

Provided that a member of service whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years:

Provided further that a member of service dealing with budget work or working as a full-time member of a committee which is to be wound up within a short period may be given extension of service for a period not exceeding three months in public interest, with the prior approval of the Central Government:

Provided also that a member of service holding the post of Chief Secretary to a State Government may be given extension of service for a period not exceeding six months on the recommendations made by the concerned State Government with full justification and in public interest, with the prior approval of the Central Government.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the Central Government may, if it considers necessary in the public interest so to do, give extension in service to the incumbents of the posts of the Cabinet Secretary, Defence Secretary, Home Secretary, Director (Intelligence Bureau), Secretary (Research and Analysis Wing) and Director (Central Bureau of Investigation) for such period as it may deem proper:

Provided that the total term of the Cabinet Secretary who is granted such extension of service shall not exceed four years:

Provided further that the Central Government may, if it considers necessary in public interest to do so, give an extension in service for a further period, not exceeding three months, beyond the period of four years to the Cabinet Secretary:

Provided also that the total term of the other Secretaries and Directors who are granted such extensions of service under these rules shall not exceed two years:

Provided also that the Central Government may, if it considers necessary in public interest so to do, give an extension in service for a further period, not exceeding three months, beyond the period of two years to the Home Secretary and the Defence Secretary.

(4) There is no bar to issue orders under this rule granting extension of service to a member of the Service with retrospective effect.

12. Voluntary Retirement from Service. - (1) A member of service may, after giving at least three months' previous notice in writing, to the State Government concerned, retire from service on the date on which such member completes thirty years of qualifying service or attains fifty years of age or on any date thereafter to be specified in the notice:

Provided that no member of service under suspension shall retire from service except with the specific approval of the Central Government:

Provided further that the State Government concerned on a request made by the member of service may, if satisfied and for reasons to be recorded in writing, relax the period of notice:

Provided also that a notice under this sub-rule, addressed to the Central Government may be treated as valid as defect in the notice is only formal, and in the absence of a prescribed form, endorsing a copy of the notice amounts to addressing the notice.

(2) A member of service may, after giving three months' previous notice in writing to the State Government concerned, retire from service on the date on which he completes twenty years of qualifying service or any date thereafter to be specified in the notice:

Provided that a notice of retirement given by a member of service shall require acceptance by the Central Government if the date of retirement on the expiry of the period of notice would be earlier than the date on which the member of the Service could have retired from service under sub-rule (1):

Provided further that a member of service, who is on deputation to a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the government or to a body controlled or financed by the Government, shall not be eligible to retire from the service under this rule for getting himself permanently absorbed in such corporation, company or body:

Provided also that a member of service borne on the cadres of Assam-Meghalaya, Manipur-Tripura, Nagaland and Sikkim may retire from service on the date on which he completes fifteen years of service.

(3) (a) The notice of voluntary retirement given in writing by the member of service under sub-rules (1) and (2) may be withdrawn by the member of service by submitting a request to the competent authority within the period specified in the said notice.

(b) A notice of voluntary retirement given by a member of service may be withdrawn by him, after it is accepted by the competent authority, only with the approval of the competent authority concerned provided the request for such withdrawal is made before the expiry of the period of notice.

(c) In cases where disciplinary proceedings are pending or contemplated against a member of service for the imposition of a major penalty and the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, is of the view that the imposition of the major penalty of removal or dismissal for service would be warranted, the notice of voluntary retirement given by the officer concerned may not ordinarily be accepted.

(d) In cases where prosecution is contemplated or may have been launched in a court of law against a member of service, the notice of voluntary retirement given by him may not ordinarily be accepted.

(e) The notice of voluntary retirement given by a member of service, who is on study leave or who has not completed a minimum service of three years on completion of study leave, may not ordinarily be accepted.

(4) Where a notice of voluntary retirement is given by a member of service under sub-rules (1) and (2), and the competent authority does not issue any order before the expiry of the period specified in the said notice, the voluntary retirement shall become effective from the date of expiry of the said period:

Provided that a member of service, who has given notice for voluntary retirement under the aforesaid rule shall retire from service on the expiry of the period of three months even if he is placed under suspension after he gave notice:

Provided further that where no order is issued by the competent authority, then after the expiry of the period specified in the notice, the Central Government may issue orders.

(5) For the purpose of this rule the expression 'competent authority' shall mean the authority which is

empowered to accept notice of voluntary retirement under sub-rules (1) and (2).

(6) Extraordinary leave cannot run concurrently with the period of notice of voluntary retirement given under sub-rules (1) and (2).

(7) The subscriber, on voluntary retirement from service, shall be entitled to benefits admissible under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 to the subscriber retiring on superannuation.

(8) If the subscriber intends to continue his Individual Pension Account or to defer payment of benefits under the National Pension System beyond the date of retirement, he shall exercise an option in this regard in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

13. Premature Retirement or retirement in advance of the age of superannuation. - (1) The Central Government may, in consultation with the State Government concerned, require a member of service to retire from service in public interest, after giving such member at least three months' previous notice in writing or three months' pay and allowances in lieu of such notice, -

- (a) after the review when such member completes fifteen years of qualifying service; or
- (b) after the review when such member completes twenty-five years of qualifying service or attains the age of fifty years, as the case may be; or
- (c) if the review referred to in (a) or (b) above has not been conducted, after the review at any other time as the Central Government deems fit in respect of such member.

Explanation.— For the purpose of sub-rule (1), “review” means the review of the entire service record of the member of service regarding suitability or otherwise of such member for further retention in the service, to be conducted regularly of each member of such service, firstly, after his completion of fifteen years of qualifying Service, and secondly, after his completion of twenty-five years of qualifying Service or on his attaining the age of fifty years, as the case may be, or if the review referred to in clauses (a) or (b) of this sub-rule has not been conducted in respect of such member, such review may be conducted at any other time as the Central Government deems fit.

(2) State Governments may initiate action and suggest the compulsory retirement in public interest of All India Service officers who have put in thirty years of qualifying service or have attained the age of fifty years after giving them three months' notice in writing and the orders in each such case shall need to be issued by the Central Government but the formal notification giving effect to the above orders shall be issued by the State Government.

(3) The Government can serve notice of retirement of a member of an All India Service even before he attains the age of fifty years or has completed thirty years of qualifying service, subject to the condition that the actual retirement takes place after he has attained age of fifty or has completed thirty years of qualifying service.

(4) A subscriber, who retires or is retired, in advance of the age of superannuation in accordance with sub-rules (1) to (3) shall be entitled to benefits as admissible under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 to the subscriber retiring on superannuation.

(5) If the Subscriber intends to continue his Individual Pension Account or to defer payment of benefits under National Pension System beyond the date of retirement, he shall exercise an option in this regard in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

14. Resignation from Government service. - (1) On resignation from a service or a post, unless it is allowed to be withdrawn in the public interest by the appointing authority, the lump sum and the annuity out of the Subscriber's accumulated pension corpus shall be paid to him in accordance with the regulations notified by the Authority as admissible in the case of exit of a Subscriber from the National Pension System before superannuation:

Provided that such payment of lump sum withdrawal and annuity shall not be made before the expiry of a period of ninety days from the date on which the resignation becomes effective and the Subscriber is relieved of his duty:

Provided further that if the Subscriber dies before the expiry of a period of ninety days from the date on which the resignation becomes effective, the payment shall be made to the person eligible to receive such payment

immediately in accordance with the regulations notified by the Authority as admissible in the case of exit of a Subscriber from the National Pension System before superannuation:

Provided also that such person may, at his option, continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number, as a non-Government subscriber in accordance with the regulations notified by the Authority.

(2) Where with proper permission, the resignation has been submitted to take up another appointment, whether temporary or permanent, in the same or any other Department of the Central Government or the State Government and the employees of such Department are covered by the National Pension System, the Subscriber shall continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number on the new appointment and shall be deemed to be a member of the National Pension System from the date he joined the Government service on a post to which he was first appointed:

Provided that where the employees of such Department or State Government are not covered by the National Pension System, the Subscriber shall be eligible to receive benefits under National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of Subscriber on superannuation:

Provided further that where the employees of such Department or State Government are not covered by the National Pension System, such subscriber may, at his option, continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number as a non-Government subscriber, in accordance with the regulations notified by the Authority, in this regard.

(3) (a) The Central Government may permit a member of service to withdraw his resignation in the public interest on the following conditions, namely:

- (i) that the resignation was tendered by the member of service for some compelling reasons which did not involve any reflection on his integrity, efficiency, or conduct and the request for withdrawal of the resignation has been made as a result of a material change in the circumstances which originally compelled him to tender the resignation;
- (ii) that during the period intervening between the date on which the resignation became effective and the date from which the request for withdrawal was made, the conduct of the member concerned was in no way improper;
- (iii) that the period of absence from duty between the date on which the resignation became effective and the date of which the person is allowed to resume duty as a result of permission to withdraw the resignation is not more than ninety days;
- (iv) that the post, which was vacated by the member of service on the acceptance of his resignation or any other comparable post, is available.

(b) Request for withdrawal of a resignation shall not be accepted by the Central Government where a member of service resigns from his service or post with a view to take up an appointment in or under a private commercial company or a corporation or company wholly or substantially owned or controlled by the Government or a body controlled or financed by the Government.

(c) Request for withdrawal of resignation shall not be accepted by the Central Government where a member of service resigns from his or her service or post with a view to be associated with, any political parties or any organisation which takes part in politics, or to take part in, or subscribe in aid of, or assist in any other manner, any political movement or political activity or to canvass or otherwise interfere with, or use his influence in connection with, or take part in, an election to any legislature or local authority.

(d) When an order is passed by the Central Government allowing a member to withdraw his resignation and to resume duty, the order shall be deemed to include the condonation of interruption in service but the period of interruption shall not be counted as qualifying service.

15. Benefit on absorption in or under a corporation, company or body. - (1) A Subscriber who has been permitted to be absorbed in a service or post in or under a Corporation or Company wholly or substantially owned or controlled by the Central Government or a State Government or in or under a Body controlled or financed by the Central Government or a State Government, shall be deemed to have retired from service from the date of such absorption and shall be eligible to receive benefits under the National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of Subscriber on superannuation:

Provided that the Subscriber shall continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number in the new organisation if the same system exists in the new organisation and in that case, he shall not receive any benefit under the National Pension System at the time of such absorption but shall receive benefits after exit from the new body or organisation, etc. where Subscriber has been absorbed:

Provided further that where the employees of such autonomous or statutory body or public sector undertaking are not covered by the National Pension System, such subscriber may, at his option, continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number as a non-Government subscriber, in accordance with the regulations notified by the Authority.

(2) The provisions under sub-rule (1) shall also apply to the Subscribers who are permitted to be absorbed in joint sector undertakings, wholly under the joint control of Central Government and State Governments or Union territory Administrations or under the joint control of two or more State Governments or Union territory Administrations.

Explanation (1). – “Date of absorption” shall be, in case, a Subscriber, -

(a) joins a corporation or company or body on immediate absorption basis, the date on which he actually joins that corporation or company or body;

(b) initially joins a corporation or company or body on foreign service terms, the date from which his unqualified resignation is accepted by the Government; and

Explanation (2). - For the purposes of this rule, “body” means autonomous body or statutory body.

16. Entitlement on retirement on invalidation. - (1) The case of a Subscriber acquiring a disability, where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) are applicable, shall be governed by the provisions of the said section:

Provided that such Subscriber shall produce a disability certificate from the competent authority as prescribed under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017.

(2) If a Subscriber, in a case where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 are not applicable, intends to retire from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, he may apply to the Competent Authority for benefits on retirement on invalidation:

Provided that an application for benefits on retirement on invalidation submitted by the spouse of the Subscriber failing which by a member of the family of the Subscriber may also be accepted, if the Competent Authority is satisfied that the Subscriber himself is not in a position to submit such application on account of the bodily or mental infirmity:

Provided further that where a Subscriber, who has acquired a disability and in whose case the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 are applicable, intends to retire under this rule, the Subscriber shall be advised that he has the option of continuing in service with the same pay matrix and service benefits which he is otherwise entitled to and in case, the Subscriber does not withdraw his request for retirement under this rule, his request may be processed in accordance with the provisions of this rule.

(3) The Government under whom the member of service is serving shall, on receipt of an application under sub-rule (2), within fifteen days of the receipt of such application, request a Medical Board for examination of the Subscriber within thirty days of receipt of such request from the member of All India Services and the Medical Board shall also be supplied by the Government under whom member of service is serving, with a statement of what appears from official records to be the age of the Subscriber, and if a service book is being maintained for the subscriber, the age recorded therein shall be reported and a copy of the letter of the Government requesting for examination of the subscriber by the medical board shall be endorsed to the subscriber.

(4) The Subscriber shall appear before the concerned Medical Board for medical examination on the date fixed by that Board and the Medical Board shall examine the Subscriber to ascertain whether or not the Subscriber is fit for further service or whether he is fit for further service of less laborious character than that which he had been doing.

(5) (a) No medical certificate of incapacity for service may be granted unless the Medical Board has received a request from the Government for medical examination of the Subscriber.

(b) The medical certificate of incapacity shall be attested, –

(i) if the member of service is on leave out of India, by a Medical Board to be convened for the purpose by the Indian Mission in the country in which the member of service is on leave;

- (ii) in other cases, by the Medical Board to be convened by the Chief Administrative Medical Officer of the State in which the member of service is on duty or on leave and the Chief Administrative Officer, shall, wherever practicable, preside over such a Board.
- (c) Save where he is on leave out of India, no member of service shall apply for a medical certificate of incapacity and no such certificate shall be granted unless, –
- (i) the applicant produces evidence to show that the Government is aware of his intention to appear before the Chief Administrative Medical Officer; and
- (ii) the Chief Administrative Medical officer is informed about the age of the applicant as recorded in his history of services and is supplied with a statement of the leave taken by him during the three years immediately preceding and of the history of the medical case and the treatment adopted as far as possible.
- (d) If the Medical Board, although unable to discover any specific disease in the member of service, considers him incapacitated for further service by general debility while still under the age of sixty years, it shall give detailed reasons for its opinion and wherever possible a second medical opinion shall be obtained in such cases.
- Note. - In such case, a statement giving the grounds on which it is proposed to invalidate a member of service shall be forwarded to the Medical Board by the Government under whom he is serving.
- (e) A certificate that inefficiency is due to old age or natural decay from advancing years shall not be deemed to be sufficient for retiring a member of the Service on invalidation.
- (f) A member of service who has been declared by a Medical Board to be permanently incapacitated for further service shall, if he is on duty, be invalidated from service from the date of relief which shall be arranged without delay on receipt of the report of the Medical Board or, if he is granted leave, on the expiry of such leave:
- Provided that if he is on leave at the time of receipt of the report of the Medical Board, he shall be invalidated from service on the expiry of that leave or extension of leave, if any, granted to him under clause (g).
- (g) A member of service in respect of whom a Medical Board has reported that there is no reasonable prospect of his ever being fit to return to duty, may not be granted leave except as follows, namely:-
- (i) if the Medical Board is unable to say with certainty that the member of service will never again be fit for service, leave not exceeding twelve months in all may be granted to him and such leave shall not be extended without further reference to a Medical Board;
- (ii) if a member of service has been declared by the Medical Board to be completely and permanently incapacitated for further service, leave or any extension of leave may be granted to him after the report of the Medical Board has been received, provided that the amount of leave so granted, together with any period of duty beyond the date on which the Medical Board signed their report, shall not exceed six months.
- (h) Invalid pension is not automatic on the issue of the certificate of Medical Board, but shall be granted by an order of the Government retiring such member from service on invalid pension.
- (6) A lady doctor shall be included as a member of the Medical Board when a woman candidate is to be examined.
- (7) Where the Medical Board referred to in sub-rule (3) has found a Subscriber mentioned in sub-rule (2) not fit for further service or has found him fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, it shall issue a Medical Certificate in Form 3 and if the Subscriber is found to be unfit for further service, he may be granted benefits on retirement on invalidation.
- (8) If the Subscriber, has been found to be fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he shall, provided he is willing to be so employed, be employed on lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be granted benefits on retirement on invalidation.
- (9) Where a Subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 is for availing benefits under the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023, and in whose case the provision of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 are not applicable, retires on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, further action will be taken by the competent authority for disbursement of benefits in accordance with the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

(10) If the Subscriber, avails the benefits under the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 in accordance with sub-rule (9), the Individual Pension Account of the Subscriber shall be closed and the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the Subscriber shall be transferred to Government account. The remaining accumulated pension corpus shall be paid to the Subscriber in lump sum.

(11) Where a Subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 of these rules is for availing benefits under the National Pension System and in whose case the provision of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 are not applicable, retires from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, he may be granted benefits in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of a Subscriber on superannuation.

(12) If a Subscriber, who has become eligible to avail the benefits under the National Pension System in accordance with sub-rule (11), intends to continue his Individual Pension Account or to defer payment of benefits under the National Pension System beyond the date of retirement, he shall exercise an option in this regard in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

17. Entitlement on boarding out from service on account of disablement. - (1) Where a Subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 is for availing benefits under the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023, is boarded out on account of disablement attributable to Government service, further action shall be taken by the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose for disbursement of benefits in accordance with the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023.

(2) If the Subscriber avails the benefits under the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023 in accordance with sub-rule (1), the Individual Pension Account of the Subscriber shall be closed and the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the Subscriber shall be transferred to Government account, and the remaining accumulated pension corpus shall be paid to the Subscriber in lump sum.

(3) Where a Subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 of these rules is for availing benefits under the National Pension System, is boarded out on account of disablement attributable to Government service, he may be granted benefits in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of a Subscriber on superannuation.

(4) If a Subscriber, who has become eligible to avail the benefits under the National Pension System in accordance with sub-rule (3) intends to continue his Individual Pension Account or to defer payment of benefits under the National Pension System beyond the date of retirement, he shall exercise an option in this regard in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

18. Effect of compulsory retirement or dismissal or removal from Government service. - (1) Where a Subscriber, is compulsorily retired from service as a penalty or is dismissed or removed from Government service, the lump sum and the annuity out of his accumulated pension corpus shall be paid to him in accordance with the regulations notified by the Authority payable to the Subscriber as admissible in the case of exit of a Subscriber from the National Pension System before superannuation:

Provided that the Subscriber, at his option, may continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number as a non-Government subscriber, in accordance with the regulations notified by the Authority.

(2) The provisions of sub-rule (1) shall be without prejudice to any action being taken in such cases in respect of gratuity and other retirement benefits not covered by these rules and those benefits shall be regulated in accordance with the rules as applicable to such benefits.

19. Effect of departmental or judicial proceedings pending on retirement. - (1) The departmental or judicial proceedings, which were instituted while the Subscriber was in service but are not concluded before retirement or the judicial proceedings instituted after retirement of the Subscriber, shall not affect the benefits payable to the Subscriber out of his accumulated pension corpus and the lump sum and the annuity out of his

accumulated pension corpus shall be paid to him in accordance with the regulations notified by the Authority as admissible in the case of exit of a Subscriber from the National Pension System on superannuation.

(2) The provision under sub-rule (1) shall be without prejudice to any action being taken in such cases in respect of gratuity and other retirement benefits not covered by these rules and those benefits shall be regulated in accordance with the rules as applicable to such benefits.

20. Entitlement for family on death of a Subscriber. - (1) On death of, -

- (a) a Subscriber, who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 is for availing benefits under the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 or Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023; or
- (b) a retired Subscriber, who was in receipt of an invalid pension under rule 13 of All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 or a disability pension under rule 10 of Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023,

further action shall be taken by the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose for disbursement of benefits in accordance with the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958:

Provided that if the death is attributable to Government service, further action shall be taken by the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose for disbursement of benefits in accordance with the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023 subject to fulfillment of all the conditions for grant of benefits under those rules.

(2) If on death of the Subscriber, benefits are payable to the family under the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023 or the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 in accordance with sub-rule (1), the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the Subscriber shall be transferred to Government account, and the remaining accumulated pension corpus shall be paid in lump sum to the person in whose favour a nomination has been made under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 and if there is no such nomination or if the nomination made does not subsist, the amount of remaining accumulated pension corpus shall be paid to the legal heir.

(3) In the case of death of a Subscriber who had exercised option or in whose case the default option under rule 10 is for availing benefits under the National Pension System, such benefits may be granted in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

21. Preparation of list of Subscriber due for retirement. - (1) Every Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose shall have a list prepared every three months, that is, on the 1st January, 1st April, 1st July and 1st October each year of all Subscribers who are due to retire within the next twelve to fifteen months from that date.

(2) A copy of every such list, as specified in sub-rule (1), shall be supplied to the Pay and Accounts Officer or State Nodal Officer concerned not later than the 31st January, 30th April, 31st July or the 31st October, as the case may be, of that year.

(3) In the case of a Subscriber retiring for reasons other than by way of superannuation, the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose shall promptly inform the Accounts Officer or designated authority and the Pay and Accounts Officer or State Nodal Officer concerned, as soon as the fact of such retirement becomes known to him.

(4) A copy of intimation sent by the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose to the Pay and Accounts Officer or State Nodal Officer under sub-rule (3) shall also be endorsed to the Directorate of Estates or the concerned authority, if the Subscriber concerned is an allottee of Government accommodation.

22. Intimation to the Directorate of Estates or the concerned authority for Government accommodation regarding issue of no demand certificate. - (1) The Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority shall write to the Directorate of Estates or the concerned authority for Government accommodation at least one year before the anticipated date of retirement of the Subscriber who was or is in occupation of a Government accommodation for issuing a no demand certificate in respect of the period preceding eight months of the retirement of the allottee.

(2) On receipt of the intimation under sub-rule (1), the Directorate of Estates or the concerned authority for Government accommodation shall take further action as required.

23. Submission of claim for benefits under the National Pension System on superannuation. - (1) A Subscriber shall have the option for submission of claim for benefit under the National Pension System through a mode, as specified by the Authority from time to time.

(2) Every Subscriber shall, six months before the date on which he is due to retire on superannuation, or on the date on which he proceeds on leave preparatory to retirement, whichever is earlier, submit to the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose, duly filled withdrawal Form prescribed by the Authority along with the documents mentioned in the withdrawal form and in other cases of retirement or exit from the National Pension System, the Subscriber shall submit to the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority, duly filled withdrawal Form prescribed by the Authority along with the documents mentioned in the withdrawal Form immediately after issue of orders of the competent authority for such retirement or exit and where the Subscriber has submitted the claim through online mode, he shall submit a signed copy of the print-out of the said withdrawal Form along with the documents mentioned in the withdrawal Form.

(3) The National Pension System shall generate claim IDs and inform nodal officers, i.e., the Accounts Officers or State Nodal Officer six months before the date of retirement for those Subscribers who shall retire on superannuation in the next six months.

24. Completion and forwarding of papers for benefits under National Pension System. - (1) The Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority shall complete the papers on his part and forward the same to the Pay and Accounts Officer through the Accounts Officer or designated authority with a covering letter in the Form mentioned below, namely:-

Sl. No.	Mode of retirement or exit.	Form of covering letter.
(1)	(2)	(3)
1.	Superannuation or Voluntary Retirement or Premature retirement.	Form 4-A.
2.	Technical Resignation or Absorption in an autonomous body or Public Sector Undertaking.	Form 4-B.
3.	Resignation or Compulsory Retirement as a measure of penalty or Dismissal or Removal from service.	Form 4-C.
4.	Retirement on Invalidation or Disablement.	Form 4-D.
5.	Death during service.	Form 4-E.

(2) In the case of a Subscriber retiring on superannuation, the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority shall forward the complete papers to the Accounts Officer not later than four months before the date of retirement of the Subscriber and in other cases, not later than one month after the date of retirement or exit of the Subscriber and the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority shall retain a copy of each of the forms and documents referred to in sub-rule (1) for his record.

(3) After processing the withdrawal request in the online system of Central Recordkeeping Agency in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015, the Accounts Officer shall forward the documents referred to in sub-rule (1) and sub-rule (2) to the Central Recordkeeping Agency not later than one month before the date of retirement of the Subscriber.

(4) In case the Subscriber intends to continue his Individual Pension Account or to defer payment of benefits under the National Pension System beyond the date of superannuation or exit, he shall exercise an option in this regard and send it to the Accounts Officer not later than fifteen days before the date of superannuation. Such option shall be processed by the Accounts Officer in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

25. Subscribers on deputation. - (1) In the case of Subscriber who retires while on deputation to a Central Government Ministry or Department or Office, action to authorise benefits in accordance with the provisions of this rule shall be taken by the concerned Ministry or Department or Office where the member of service has last served.

(2) In the case of a Subscriber who retires from service, while on deputation to another State Government or while on foreign service, action to authorise benefits in accordance with the provisions of this rule shall be taken by the parent cadre concerned.

26. Qualifying Service. - (1) Unless provided otherwise in these rules, qualifying service of a member of service for purposes of these rules begins from the date of his substantive appointment to the Service:

Provided that in the case of a member of service appointed initially on probation the period of probation shall also be counted as qualifying service.

(2) Any period of service under the Central Government or a State Government rendered by a member of service prior to his appointment to the service shall be counted as qualifying service under these rules to the extent to which such service would have counted as qualifying service for gratuity under the rules applicable to him prior to his appointment to the service provided that the service is otherwise continuous:

Provided that temporary or officiating service, followed without interruption by confirmation in the same or another post, shall be counted in full as qualifying service.

(3) The period of service rendered under an autonomous body, wholly or substantially owned or controlled by the Central Government and taken over by it, by a member of service who left the service of that body at any time prior to its take-over by the Central Government and who later on joined Government Service with or without break, shall be counted as qualifying service for gratuity under these rules to the extent and subject to the conditions under which such service is counted as qualifying service for gratuity under the Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021 or under any orders issued by the Central Government in this behalf.

(4) Foreign service rendered by a member of service shall be counted as qualifying service provided that contributions towards the cost of retirement benefits of the member of the Service, at such rates as the Central Government may prescribe from time to time have been paid either by the foreign employer, or, failing that, by the member of the Service himself, in respect of the entire period of foreign service.

(5) Authorised joining time availed of by a member of service shall be counted as qualifying service.

(6) The qualifying service shall be calculated in six monthly periods and a fraction of less than three months shall not be taken into account and any period between three months and six months shall be treated as six monthly period in calculating the total qualifying service.

(7) All periods of leave with allowances and extraordinary leave granted on the basis of medical certificate shall be counted as qualifying service:

Provided that the Central Government may, in any case in which it is satisfied that the extraordinary leave was taken by a member of service for any cause beyond the control of such member or for prosecuting higher studies in the field of science, technology, finance, economics, law or other social sciences, direct that such extraordinary leave shall be counted as qualifying service.

(8) Leave granted by foreign employer to a member of service while on foreign service out of India under sub-rule (1) of rule 27 of the All India Services (Leave) Rules, 1955 shall be treated as leave and not as duty and shall qualify for gratuity subject to the provision of sub-rule (7) of this rule.

(9) Counting of period of deputation or leave outside India for purposes of qualifying service, –

- (a) where a member of service is deputed out of India on duty, the whole period of his absence from India on such deputation shall count as qualifying service;
- (b) where a member of service on leave out of India is employed, or is detained on duty out of India after the termination of his leave, the period of such employment or detention shall count as qualifying service:

Provided that the periods of deputation converted into leave shall count for purposes of qualifying service as leave and not as deputation;

- (c) time spent on journey to India by a member of service who is recalled to duty before the expiry of any duty sanctioned leave out of India counts as qualifying service.

Explanation. - For the purposes of this rule, leave of any kind or suspension followed by reinstatement does not constitute a break.

27. Acceptance of date of birth - (1) For the purpose of determination of the date of superannuation of a member of service, such date shall be calculated with reference to the date of his birth as accepted by the Central Government under this rule.

(2) In relation to a person appointed, –

- (a) in the Indian Administrative Service under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954; or
- (b) in the Indian Police Service under clause (a) of sub-rule (1) of rule 4 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954; or
- (c) in the Indian Forest Service under clause (a) of sub-rule (2) of rule 4 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966,

the date of birth as declared by such person in the application for recruitment to the service shall be accepted by the Central Government as the date of birth of such person.

(3) In relation to a person to whom sub-rule (2) does not apply, the date of birth as recorded in the service book or other similar official document maintained by the concerned government shall be accepted by the Central Government, as the date of birth of such person.

(4) The date of birth as accepted by the Central Government shall not be subject to any alteration except where it is established that a bona fide clerical mistake has been committed in accepting the date of birth under sub-rule (2) or (3).

28. Date of retirement to be notified. - When a subscriber retires from service, a notification in the Official Gazette shall be issued specifying the date of retirement within a week of such date and a copy of every such notification shall be forwarded immediately to the Accounts Officer.

29. Interpretation. - Where any doubt arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Department of Personnel and Training, Government of India for decision.

30. Power to relax. - Where any Ministry or Department of the Government or the State Government concerned is satisfied that the operation of any of these rules causes undue hardship in any particular case, it may, by order for reasons to be recorded in writing, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such exceptions and conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that no such order shall be made except with the concurrence of the Department of Personnel and Training, Government of India.

31. Power of Central Government to provide for residual matters. - (1) Any related issues not specifically covered in these rules, shall be decided in terms of the relevant provisions in this regard contained in the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958, Fundamental Rules, 1922, Supplementary Rules, 1922 or any general or special order issued by the Central Government provided it is not repugnant to or inconsistent with the provisions of these rules.

(2) The Central Government may issue orders or instructions to regulate any matter for which there is no provision in the rules made or deemed to have been made under these rules and, until such rules are made, such matters shall be regulated as per orders or instructions issued from time to time.

32. Payment of Gratuity under National Pension System. - (1) The members of service to whom these rules are applicable shall be governed by the Central Civil Services (Payment of Gratuity under National Pension System) Rules, 2021, in so far as payment of gratuity is concerned:

Provided that, in case a member of service is on central deputation, gratuity shall be paid by the Central Government; and in other cases, by the parent cadre.

33. Repeal and saving. - (1) On the commencement of these rules, every order, instruction or Office Memorandum in force immediately before such commencement shall, in so far as it provides for any of the matters contained in these rules, cease to operate.

(2) Anything done or any action taken under the aforesaid order, instruction or Office Memorandum shall be deemed to have been taken under the corresponding provisions of these rules.

Form 1

[See rule 10(1)]

Option to Avail Benefits in Case of Death or Discharge on Invalidation or Disability of Member of Service or Subscriber during Service

* I,, hereby exercise option that in the event of my discharge from service on the account of disability or retirement from service on account of invalidation or death during service, benefits under All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 or CCS (Extraordinary Pension) Rules, 2023 as the case may be, may be paid to me or my family.

OR

* I,, hereby exercise option that in the event of my discharge from service on the account of disability or retirement from service on account of invalidation or death during service, benefits may be paid to me or my family, as the case may be, based on the accumulated pension corpus in the Individual Pension Account under the National Pension System in accordance with the All India Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2026.

Signature of member of service / Subscriber

Name-----

Designation-----

Office in which employed-----

Telephone No.-----

Place and date:

This option supersedes any other option made by me earlier.

* Completely strike out the benefits for which option is not intended to be made.

(To be filled in by the Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority or authorised Gazetted Officer)

Received the option dated, under All India Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2026 made by Shri/Smt./Kumari....., Designation..... Office.....

Entry of receipt of option has been made in page Volume of Service Book.

Signature

Name and Designation of Head of Office or
District Treasury Officer or Treasury Officer or
any other designated authority or authorised Gazetted Officer with seal

Date of receipt

The receiving Officer will fill the above information and return a duly signed copy of the complete Form to the member of service who should keep it in safe custody so that it may come into the possession of the beneficiaries in the event of his or her death or invalidation.

FORM 2

[See rule 10(3)]

Details of Family**Important**

1. The original Form submitted by the member of service or Subscriber is to be retained. All additions or alterations are to be communicated by the member of service or retired member of service or Subscriber along with the supporting documents and the changes shall be recorded in this Form under the signature of Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose in Column (7). No new Form will substitute the original Form. However, the retiring Subscriber should submit the details of family afresh at the time of retirement.
2. The details of spouse, all children and parents (whether eligible for family pension or not) and disabled siblings (brothers and sisters) may be given.
3. The Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority for the purpose shall indicate the date of receipt of communication regarding addition or alteration in the family in the 'Remarks' column. The fact regarding disability or change of marital status of a family member should also be indicated in the 'Remarks' column.
4. Wife and husband shall include judicially separated wife and husband.
5. The retired member of service shall attach the details of change in family structure after retirement in the proforma prescribed under Department of Pension & Pensioners' Welfare O.M. No. 1 (23)-P.&P. W/91-E, dated the 4th November, 1992.
6. Copies of birth certificates to be attached. Copies of any other relevant certificates, if available, should be attached.

Name of the member of service or subscriber		Designation, service and cadre		Nationality	
---	--	--------------------------------	--	-------------	--

Details of family members:

S.N.	Name (Please see notes below before filling)	Date of birth in DD/MM/YYYY format	Aadhaar No.* (optional)	Relationship with member of service or retired member of service or subscriber	Marital status	Remarks	Dated signature of Head of Office or Designated Authority for the Purpose
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							

I hereby undertake to keep the above particulars up to date by notifying to the Head of Office any addition or alteration.

E-mail (Optional):

Place:

Mobile:

Date:

Signature

**Providing Aadhaar No. is optional. However, if it is provided, consent to link it to Bank Account and also for authentication of identity from UIDAI, for pension related purpose only, is presumed.*

FORM 3

[See rule 16(7)]

Form of Medical Certificate

Certified that I/(We) have carefully examined (Name of the member of service or Subscriber), son of a (Designation, Service and Cadre) in the

I/(We) consider to be completely and permanently incapacitated for further service of any kind in the Department to which he belongs to consequence of (Here, state disease or cause).

(If the incapacity does not appear to be complete and permanent, the certificate should be modified accordingly and the following addition should be made.)

“I am / we are of opinion that is fit for further service of a less laborious character than that which he had been doing/may, after resting for months, be fit for further service of less laborious character than that which he had been doing.”

Place.....

Dated the

Medical Board

FORM 4-A

[See rule 24]

Form of letter to the Accounts Officer forwarding the withdrawal papers of a Subscriber under the National Pension System on superannuation or voluntary retirement or pre-mature retirement

No

Government of India
Ministry/Department/Office

Dated the

To,

The Accounts Officer/Accountant-General

(Through - District Treasury Officer or Treasury Officer or any other Designated authority for the purpose)

Subject: Processing of claim for benefits under the National Pension System on retirement on superannuation or
voluntary retirement or premature retirement - case of
Shri/Smt./Kumari..... (PRAN.....)

Sir/Ma'am,

I am directed to say that:

* Shri/Smt./Kumari..... (name and designation), PRAN
....., of [IAS/IPS/IFS] service, Cadre.....is due for retirement on
superannuation on**OR*** A notice for voluntary retirement of Shri/Smt./Kumari..... (name and
designation), PRANof [IAS/IPS/IFS] service, Cadrewith effect
fromunder rule 12 of the All India Services (Implementation of National Pension System)
Rules, 2026 has been accepted by the competent authority. A copy of the order issued in this regard is enclosed.**OR*** An order for retirement of Shri/Smt./Kumari.....(name and designation), PRAN
.....of [IAS/IPS/IFS] service, Cadreunder rule 13 of the All India Services
(Implementation of National Pension System) Rules, 2026 with effect from has been issued by the competent
authority. A copy of the order issued in this regard is enclosed.2. The following documents (in physical form or print-out of forms submitted online), prescribed by the
Pension Fund Regulatory and Development Authority, for release of terminal benefits under the National Pension
System are enclosed:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

3. On retirement from service, in accordance with rule 11/rule 12/rule 13, Shri/Smt./Kumari
..... is entitled to benefits under the Pension Fund Regulatory and Development Authority
(Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible to the subscribers
retiring on superannuation. It is requested that the case of the member of service or subscriber for release of
terminal benefits under the National Pension System may be processed accordingly.

Yours faithfully,

Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or
any other Designated Authority for the purpose

* Strike out if not applicable.

FORM 4-B

[See rule 24]

Form of letter to the Accounts Officer forwarding the withdrawal papers of a subscriber under the National Pension System on absorption in an autonomous body or Public Sector Undertaking

No

Government of India

Ministry/Department/Office

Dated the

To,

The Accounts Officer/Accountant-General

Subject: Processing of claim for benefits under the National Pension System on absorption in an autonomous body or Public Sector Undertaking or resigned on technical ground - case of Shri/Smt./Kumari(PRAN).

Sir/Ma'am,

I am directed to say that Shri/Smt./Kumari.....(name and designation), PRANof this Ministry or Department or office is deemed to have retired from Government service w.e.f.....on absorption in, an autonomous body or Public sector undertaking or resigned on technical ground. A copy of order of his relieving from this Ministry or Department or office is enclosed.

2. * Since the scheme of the National Pension System exists in the new organisation, the subscriber shall continue to subscribe to the National Pension System with the same Permanent Retirement Account Number in the new organisation. He shall not receive any benefit under the National Pension System at the time of such absorption but shall receive benefits after exit from the new body or organisation, etc. where subscriber has been absorbed.

OR

* Since the scheme of the National Pension System does not exist in the new organisation, in accordance with rule 15 of the All India Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2026, he shall be eligible to receive benefits under National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of subscriber on superannuation. The following documents (in physical form or print-out of forms submitted online), prescribed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority for release of terminal benefits under the National Pension System, are enclosed:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

3. It is requested that the case of the subscriber may be processed for transfer of the National Pension System Account to or release of terminal benefits under the National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of Subscriber on superannuation.

Yours faithfully,

Head of Office or District Treasury Officer
or Treasury Officer or any other
Designated Authority for the purpose

* Strike out if not applicable.

FORM 4-C

[See rule 24]

Form of letter to the Accounts Officer forwarding the withdrawal papers of a subscriber under the National Pension System on resignation or compulsory retirement as a measure of penalty or dismissal or removal from service

No

Government of India

Ministry/Department/Office

Dated the

To,

The Accounts Officer/Accountant-General

(Through - District Treasury Officer or Treasury Officer or any other Designated Authority for the purpose)

Subject: Processing of claim for benefits under the National Pension System on resignation or compulsory retirement as a measure of penalty or dismissal or removal from service of Shri/Smt./Kumari..... (PRAN

Sir/Ma'am,

I am directed to say that:

* A penalty of compulsory retirement has been imposed on Shri/Smt./Kumari.....(name and designation) [IAS/IPS/IFS] (Cadre.....) PRAN..... vide Order No..... dated..... (copy enclosed). Accordingly, Shri/Smt./Kumari stands compulsorily retired from Government service with effect from

OR

* A penalty of dismissal or removal from service has been imposed on Shri/Smt./Kumari (name and designation) [IAS/IPS/IFS] (Cadre.....), PRANvide Order No..... dated..... (copy enclosed). Accordingly, Shri/Smt./Kumari.....stands dismissed/removed from Government service with effect from.....

OR

* Shri/Smt./Kumari..... (name and designation) [IAS/IPS/IFS] (Cadre.....), PRANhas resigned from Government service with effect from..... A copy of the Order No dated for acceptance of resignation is enclosed.

2. In terms of rule 18 or rule 14 of the All India Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2026, the subscriber is eligible for benefits under the National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of subscriber before superannuation.

3. The following claim papers (in physical form or print-out of forms submitted online), prescribed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, for release of terminal benefits under the National Pension System are enclosed:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

4. It is requested that the case of the subscriber for release of terminal benefits under the National Pension System may be processed in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of Subscriber before superannuation.

Yours faithfully,

Head of Office or District Treasury Officer
or Treasury Officer or any other
Designated Authority for the purpose

* Strike out if not applicable.

FORM 4-D

[See rule 24]

Form of letter to the Accounts Officer forwarding the withdrawal papers of a subscriber under the National Pension System on retirement on invalidation or disablement

No

Government of India
Ministry/Department/Office

Dated the

To,

The Accounts Officer/Accountant-General

(Through - District Treasury Officer or Treasury Officer or any other Designated Authority for the purpose)

Subject: Processing of claim for benefits under the National Pension System on retirement on invalidation or disablement of Shri/Smt./Kumari..... (PRAN

Sir/Ma'am,

* I am directed to say that Shri/Smt./Kumari (name and designation) [IAS/IPS/IFS] (Cadre.....), PRAN retired on invalidation (not attributable to Government service) or disablement (attributable to Government service) on As per the option exercised by Shri/Smt./Kumari..... default option under rule 10 of the All India Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2026, the subscriber is eligible for benefits under the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023. A copy of the option exercised by the member of service in Form-1 is enclosed. Further action for disbursement of benefits in accordance with the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 or Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023 is being taken accordingly. In accordance with rule 16 or rule 17 of the All India Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2026, the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the subscriber shall be transferred to Government account. The remaining accumulated pension corpus shall be paid in lump sum to the subscriber.

OR

* I am directed to say that Shri/Smt./Kumari.....(name and designation) [IAS/IPS/IFS] (Cadre.....), PRAN.....of this Ministry or Department or office retired on invalidation (not attributable to Government service) or disablement (attributable to Government service) on As per the option exercised by Shri/Smt./Kumari..... default option under rule 10 of the All India Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2026 and in accordance with rule 16 or rule 17 All India Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2026 the subscriber is eligible for benefits under the National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015 as admissible in the case of exit of Subscriber on superannuation. A copy of the option exercised by Shri/Smt./Kumari.....in Form-1 is enclosed.

The following documents (in physical form or print-out of forms submitted online) prescribed by the Pension Fund Regulatory and Development Authority for release of terminal benefits under the National Pension System, as submitted by the Shri/Smt./Kumari.....[IAS/IPS/IFS] (Cadre.....) are also enclosed:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

2. It is requested that the case of Shri/Smt./Kumari..... [IAS/IPS/IFS] (Cadre.....) for release of terminal benefits under the National Pension System may be processed in accordance with the option exercised by him or her and the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

Yours faithfully,

Head of Office or District Treasury Officer
or Treasury Officer or any other Designated Authority for the purpose

* Strike out if not applicable.

FORM 4- E

[See rule 24]

Form of letter to the Accounts Officer forwarding the withdrawal papers of a subscriber under the National Pension System on death in service

No

Government of India

Ministry/Department/Office

Dated the

To,

The Accounts Officer/Accountant-General

(Through - District Treasury Officer or Treasury Officer or any other designated authority)

Subject: Processing of claim for benefits under the National Pension System on death in service- case of Shri/Smt./Kumari..... (PRAN

Sir/Ma'am,

* I am directed to say that Shri/Smt./Kumari..... (name and designation) [IAS/IPS/IFS] (Cadre.....), PRANdied on The death of Shri/Smt./Kumari..... [IAS/IPS/IFS] (Cadre.....) is not attributable to Government service or attributable to Government service. As per the option exercised by Shri/Smt./Kumari....., default option under rule 10 of the All India Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2026, his family is eligible for benefits under the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 or the Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023. Further action for disbursement of benefits to the family in accordance with the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 or Central Civil Services (Extraordinary Pension) Rules, 2023 is being taken accordingly. In accordance with rule 20 of the All India Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2026, the Government contribution and returns thereon in the accumulated pension corpus of the subscriber shall be transferred to Government account. The remaining accumulated pension corpus shall be paid in lump sum to the person(s) in whose favour a nomination has been made under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015. If there is no such nomination or if the nomination made does not subsist, the amount of remaining accumulated pension corpus shall be paid to the legal heir(s). A copy of the option exercised by the member of service / subscriber in Form -1 is enclosed.

OR

* I am directed to say that Shri/Smt./Kumari.....(name and designation) [IAS/IPS/IFS] (Cadre.....), PRANdied on..... As per the option exercised by Shri/Smt./Kumari....., default option under rule 10 and in terms of rule 20 of the All India Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2026, his family is eligible for benefits under the National Pension System in accordance with the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015. A copy of the option exercised by the subscriber in Form-1 is enclosed. The following documents (in physical form or print-out of forms submitted online) specified by the Pension Fund Regulatory and Development Authority for release of terminal benefits under the National Pension System, as submitted by the eligible member of the family are enclosed:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

2. It is requested that the case of the subscriber for release of terminal benefits under the National Pension System may be processed in accordance with the option exercised by him or her and the provisions of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under National Pension System) Regulations, 2015.

Yours faithfully,

Head of Office or District Treasury Officer or Treasury Officer or any other
Designated Authority for the purpose

* Strike out if not applicable.

[F. No.25014/03/2022-AIS-II(Pension)]
P. BALA KIRAN, Jt. Secy. (All India Services)